

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016—श्रावण 21, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 13 से 15 जुलाई 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-575-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2016 द्वारा 8 से 25 जून 2016 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 26 से 23 जुलाई 2016 तक अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2016 अनुसार शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-766-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएस., प्रबंध संचालक, एम. पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण मध्यप्रदेश को दिनांक 20 मई 2016 से 17 जून 2016 तक उन्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-800-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयएस., सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्मांकित अवधियों का अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

1. दिनांक 16 से 31 मई 2016 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश।

2. दिनांक 1 से 29 जून 2016 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-819-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदारलाल शर्मा, आयएस., विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 22 से 24 जून 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्र. ई-5-532-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2016 द्वारा 16 जून से 30 जून 2016 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 1 से 5 जुलाई 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-645-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएस., प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 21 जुलाई 2016 से 27 अगस्त 2016 तक अड़तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मनीष रस्तोगी की अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम का प्रभार श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनीष रस्तोगी द्वारा प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-805-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 14 जून 2016 से 5 जुलाई 2016 तक बाईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-838-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोहरलाल दुबे, आयएस, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 18 से 27 जुलाई 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहरलाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोहरलाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहरलाल दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-876-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएस, तत्कालीन अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास (वर्तमान में कलेक्टर, जिला बड़वानी) को दिनांक 10 से 17 मई 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-887-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 18 से 30 जुलाई 2016 तक, तेरह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री आर. एस. पटले, अपर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. एस. पटले उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-992-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 10 से 13 जून 2016 तक चार दिन का अर्जित लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. ई-5-848-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास

विभाग, गृह विभाग को दिनांक 16 से 27 अगस्त 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 एवं 13, 14, 15 एवं दिनांक 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-965-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप जी. आर. आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बेडकर नगर महू जिला इन्दौर को दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 9, 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री संदीप जी. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप जी. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-1-156-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री नरेन्द्र सिंह परमार (2004) कलेक्टर, अनूपपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल.	—
2	श्री पतिराम कतरौलिया (2005), अपर कलेक्टर, खरगौन.	वि.क.अ.-सह-अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री अजय कुमार शर्मा (2005), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	कलेक्टर, अनूपपुर	—
4	श्री अभय कुमार वर्मा (2007), महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम तथा मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, सीधी	—
5	श्री विशेष गढ़पाले (2008), कलेक्टर, सीधी.	कलेक्टर, कटनी	—
6	श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला (2008), अपर संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल.	—

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्र. ई-5-726-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, आयएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 19 से 26 जुलाई 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक शर्मा, भाप्रसे, अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शर्मा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. ई-5-803-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएस., प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 21 से 28 जून 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2016

क्र. एफ. ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक

के. 13025-01-2015-यू.एस.-II (iii) दिनांक 22 फरवरी 2016 द्वारा माननीय श्री आलोक वर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई है। माननीय न्यायधिपति श्री आलोक वर्मा द्वारा दिनांक 30 जून 2016 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. ई-5-919-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 द्वारा 6 से 17 जून 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 6 से 28 जून 2016 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 अनुसार यथावत्।

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. ई-5-819-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदारलाल शर्मा, आयएस., विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 23 अप्रैल 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. एफ-1-60-2016-ब-2-दो.—श्री विजय यादव, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.), मध्यप्रदेश, भोपाल को दि. 7 से 28 अगस्त 2016 तक बाईस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए (एक्स इण्डिया लीव्ह) अवधि में Angkor vat (Cambodia) की तीर्थ यात्रा एवं पर्यटन हेतु अन्य देश सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फ्रेन्च पोलेनीजिया एवं हांगकांग (चीन) की निजी विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :—

- (1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
- (2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
- (3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
- (4) स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री विजय यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय यादव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. एफ 1(ए) 399-88-ब-2-दो.—श्री सी. व्ही. मुनिराजू भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन),

पुलिस मुख्यालय, भोपाल को आवश्यक कार्य से बेंगलूर (कर्नाटक) जाने के लिये दिनांक 11 से 15 जुलाई 2016 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश, दि. 9, 10, 16 एवं 17 जुलाई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (एटीएस), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 25-2013-ब-2-दो.—श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, हरदा को दि. 26 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक कुल चौदह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2015 एवं 9, 10 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2015-16 में भारत भ्रमण यात्रा की सुविधा के तहत उनकी पत्नी श्रीमती अंकिता के साथ गृह नगर के बदले में कोच्चि (केरल) के अवकाश यात्रा उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2016

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-2261-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 72 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“72	राजगढ़	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़ के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74 एवं 74-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).”

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-2261-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 72 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“72.	Rajgarh	IInd Additional Sessions Judge, Rajgarh.	All electricity area of Civil District Rajgarh (exculding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 73, 74 & 74-A).”.

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-2261-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक

24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9, 68, 72 एवं 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
“9.	बड़वानी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा	कु. साधना माहेश्वरी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा.
68	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पन्ना.	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनि.) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां, और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पन्ना.
72.	राजगढ़	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	श्री ओम प्रकाश तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
110.	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	श्री योगेश दत्त शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-2261-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table, for serial number 9, 68, 72 and 110 entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
“9	Badwani	1 st Additional Sessions Judge, Sendhwa.	Ku. Sadhna Maheshwari, Additional Sessions Judge, Sendhwa.
68	Panna	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Panna.	Shri Prakash Chandra Gupta (Sr.) Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Panna.
72	Rajgarh	II nd Additional Sessions Judge, Rajgarh.	Shri Om Prakash Tiwari, II nd Additional Sessions Judge, Rajgarh.
110	Mandleshwar	1 st Additional Sessions Judge, Mandleshwar.	Shri Yogesh Dutt Shukla, 1 st Additional Sessions Judge, Mandleshwar.”

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2016

फा. क्र. 1-अ-1-15-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 1 अगस्त 2016 से दिनांक 31 जुलाई 2017 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों (राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 27 फरवरी 2013) में उल्लेखित शर्तों के अध्वधीन होंगी :—

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर
अतिरिक्त महाधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री विशाल मिश्रा	अतिरिक्त महाधिवक्ता

उप महाधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्रीमती अमी प्रवल सोलंकी	उप महाधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री चन्द्रसेन रोमन	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री भानुप्रताप सिंह चौहान	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री प्रवीण नेवास्कर	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
4	सुश्री निधि पाटनकर	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
5	श्री गिरधारी सिंह चौहान	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.

(1)	(2)	(3)
6	श्री कमल जैन	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
7	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
8	श्री हरीश दीक्षित	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री गजेन्द्र गडकर	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री राजकुमार अवस्थी	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.
3	डॉ. अंजली ज्ञानानी	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001 अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1-अ-1-15-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 1 अगस्त 2016 से दिनांक 31 जुलाई 2017 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों (राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 27 फरवरी 2013) में उल्लेखित शर्तों के अध्वधीन होंगी :—

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर
अतिरिक्त महाधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री सुनील जैन	अतिरिक्त महाधिवक्ता

उप महाधिवक्ता

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री उमेश गजांकुश	उप महाधिवक्ता
2	श्री पुष्यमित्र भार्गव	उप महाधिवक्ता

फा. क्र. 2665-इक्कीस-ब-(दो)2016.—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अधीन सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वेतन रु. 51550—1230—58930—1380—63070 पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है:—

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्री योगेश मित्तल	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री मिलिन्द कुमार फडके	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री संजय करंजवाला	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री पंकज वाधवानी	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
5	श्री रोमेश दवे	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
6	श्री रोहित कुमार मंगल	विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, सीजेएम, दतिया,
2. श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, सीजेएम, डिण्डोरी,
3. श्री शिव बालक साहू, सीजेएम, मण्डला,
4. श्री प्रावेन्द्र कुमार सेन, सीजेएम, देवास,
5. श्री विक्रम सिंह बुले, सीजेएम, अलीराजपुर,
6. श्री अरविन्द कुमार जैन, सीजेएम, सगार,
7. श्री संजय कुमार जैन, सीजेएम, ग्वालियर,
8. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, एसीजेएम, इन्दौर,
9. श्री अमित रंजन समाधिया, एसीजेएम, इन्दौर
10. श्री विपिन कुमार लावानिया, एसीजेएम, गुना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

भोपाल, दिनांक 30 मई 2016

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)
1	श्रीमती ममता शांडिल्य	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री भुवन देशमुख	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री सी. एस. उज्जैनिया	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री प्रसन्न भटनागर	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.
5	श्री पियूष जैन	उप विधि अधिकारी / उप शासकीय अधिवक्ता.

क्र. 4288-1455-2016-पचास-2.—मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2150-1766-2015-पचास-2, भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2015 के द्वारा विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं नियम 2006 के तहत संरक्षण अधिकारी घोषित किया गया था. उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:—

1. जिन विकासखण्डों/परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद रिक्त है, वहां पदस्थ विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी को संरक्षण अधिकारी के साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी का प्रभार भी सौंपा जाता है. बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदस्थापना होने पर वे एकीकृत बाल विकास सेवा प्रभाग के कार्य से स्वतः मुक्त हो जावेंगे.
2. जिन विकासखण्डों में विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदस्थ नहीं हैं, वहां पदस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारी, संरक्षण अधिकारी के कार्य के साथ-साथ विकासखण्ड महिला

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001 अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव.

सशक्तिकरण अधिकारी का कार्य भी संपादित करेंगे. विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी की पदस्थापना होने पर वे महिला सशक्तिकरण प्रभाग के कार्य से स्वतः मुक्त हो जावेंगे.

3. जिन विकासखण्डों एवं परियोजनाओं में विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी दोनों पदस्थ हैं, वहां वे अपने-अपने प्रभाग का कार्य स्वतंत्र रूप से संपादित करेंगे.
4. जिस विकासखण्डों/परियोजनाओं में विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी का सेवाकाल शासकीय सेवा में 3 वर्ष से कम है, उन परियोजनाओं में पदस्थ वरिष्ठतम पर्यवेक्षक को संरक्षण अधिकारी का दायित्व सौंपा जाता है.
5. शहरी क्षेत्र में एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अपने कार्य के साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण प्रभाग व संरक्षण अधिकारी का कार्य भी सौंपा जाता है.
6. शासकीय महिला आश्रयगृह/उषा किरण केन्द्र में पदस्थ राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के अधिकारी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम 2006 के नियम 3 (2) की अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करने पर अपने क्षेत्राधिकार में संरक्षण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2016

क्र. एफ 5-23-2016-बाइस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 शासन को प्रस्तुत अपील/पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के लिए प्रत्यायोजित किए जाने वाले अधिकार संबंधी आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 एतद्वारा निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम 1995 के नियम 3 एवं 5 के प्रावधानों एवं सहपठित मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग 5 के नियम 13 के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदेश की कंडिका 2 (ए) के अन्तर्गत राज्य शासन को प्रस्तुत किए जाने वाले अपील/पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं उन पर निर्णय अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2016

संशोधन

क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश द्वारा संचालक श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी की नियुक्ति का दिनांक 8 मई 2016 अंकित है इसे दिनांक 8 जून 2016 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र.एफ 9-2-2008-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-99-ब-सोलह, दिनांक 5 फरवरी 2007 के अनुक्रम में इंडियन कॉफी वर्क्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी. सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलिटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्र. 19-2014-ए-सोलह.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (1983 का धारा 36) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमंक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा श्रम विभाग के अधीन मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल का अध्यक्ष पद का प्रभार विभाग के आदेश क्र. 33-19-2014-ए-16, दिनांक 9 जनवरी 2014 द्वारा श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्रीजी को सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए माननीय श्री ओमप्रकाश धुर्वे, मंत्रीजी, श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्र. एफ-6-2-2016-अट्टावन.—उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय द्वारा राजपत्र (असाधारण) क्र. 274, दिनांक 4 जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- (1) मौसम केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 3.1 में उल्लेखित “15 किलोमीटर की परिधि” के स्थान पर “10 से 15 किलोमीटर की त्रिज्या” पढ़ा जाए.
- (2) अधिसूचना के परिशिष्ट 2 में क्रमांक 6 में अधिसूचित फसल के कॉलम में रबी फसलों में उल्लेखित “प्याज” को विलोपित किया जाए.
- (3) अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 7 में प्रकाशित गतिविधियों की अन्तिम तिथियां निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं :—

अनु.क्र.	गतिविधि	समयसीमा	
		खरीफ (3)	रबी (4)
(1)	(2)		
1	ऋण लेने की अवधि (स्वीकृत ऋण/नवीनीकरण) एवं अऋणी किसानों से प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि.	1 अप्रैल से 15 अगस्त	1 अक्टूबर से 15 जनवरी
2	किसानों के खाते से प्रीमियम काटने की अन्तिम तिथि Debit From Farmers Account.	ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु 15 अगस्त.	ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु 15 जनवरी.
3	बैंकों से एकजाई घोषणा पत्र प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि.	ऋणी हेतु 31 अगस्त एवं अऋणी हेतु 22 अगस्त.	ऋणी हेतु 31 जनवरी एवं अऋणी हेतु 22 जनवरी.
4	अधिकृत बीमा अभिकर्ता द्वारा अऋणी कृषकों के दस्तावेज बीमा कंपनी में जमा करने की अन्तिम तिथि.	22 अगस्त	22 जनवरी
5	बैंकों द्वारा कृषकों की जानकारी साफ्टकॉपी फसल बीमा पोर्टल अपलोड करने की अन्तिम तिथि.	ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु 31 अगस्त.	ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु 31 जनवरी.
6	मौसम केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा भुगतान	पॉलिसी समाप्त होने के पश्चात राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान राशि प्राप्त होने पर 45 दिन के अन्दर.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 18 जुलाई 2016

प्र. क्र.-13-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-उदयपुरा.—चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:—

ग्राम का नाम—सिहोरा डुंगरिया, तहसील—उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सिहोरा डुंगरिया	ब्रजेश आ. काशीराम जाति किरार नि. ग्राम.	177/2	0.809	0.013	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन.	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु.
2		कमलेश सिंह आ. साहब सिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम निवाड़ी.	178	4.777	0.060		
3		चन्द्रेश हरीश लखन ना. वा. आ. गोटरिया संरक्षक मां नर्वदी बाई जाति अहिरवार नि. आवारिया.	179/4/2	1.193	0.041		

रायसेन, दिनांक 26 जुलाई 2016

प्र. क्र. 4305-भू-अर्जन-16-प्र. क्र. 09-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-बरेली.—चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व

के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:—

ग्राम का नाम—छबारा, तहसील—बरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	छबारा	नरेन्द्र सिंह आ. राधाशरण जाति रघुवंशी निवासी भोपाल.	102/4	4.043	0.118	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी, जिला रायसेन.	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु.
2		सीताबाई पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति रघु. नि. भोपाल.	101/3	2.429	0.225		
3		देवेन्द्रसिंह आ. वीरेन्द्र सिंह जाति रघुवंशी निवासी भोपाल.	101/1	6.879	0.501		
4		नेहा पुत्री नरेन्द्र सिंह जाति रघु नि. भोपाल.	103/1/2	3.602	0.137		
5		सूर्य प्रतापसिंह आ. रघुराजसिंह जाति रघु. नि.छबारा.	100/6	3.642	0.147		
6		रघुराजसिंह आ. भवानीसिंह जाति रघु. नि. छबारा.	100/5	7.284	0.361		
7		मनीष कुमार आ. गोविन्दनारायण सिंह जाति रघु. नि. छबारा.	106/2	7.689	0.366		
8		शिवनारायण आ. शंकरसिंह जाति रघु. नि. भोपाल.	106/3	8.094	0.448		
9		पल्लिविका पुत्री गोविन्द नारायण सिंह जाति रघु. नि. छबारा.	107/3	3.618	0.231		
10		गोविन्द नारायण सिंह आ. शंकरसिंह जाति रघुवंशी नि. छबारा.	107/2	7.648	0.219		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	नित्तगोपाल, सुरेश कुमार, केशव प्रसाद, कमलेश कुमार गायत्री बाई गीता बाई आ. परमानंद लक्ष्मी वाई वि. भगवत प्रसाद महेश कुमार, दिनेश कुमार, आशा बाई आ. भगवत प्रसाद जाति ब्राह्मण नि. छबारा.		110/2	1.339	0.166		
12	नरेन्द्र सिंह आ. कैलाश नारायण जाति रघुवंशी नि. हाल बरेली.		108/4	7.689	0.557		
13	भारत सिंह आ. कैलाश नारायण जाति रघुवंशी नि. हाल बरेली.		145	0.372	0.081		
14	राजेश कुमार आ. गोपाल सिंह रघुवंशी नि. हाल बरेली.		118/4/1 118/5/1	2.161 2.040	0.235 0.541		
15	कल्याण सिंह आ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी नि. हाल बरेली.		118/6/1 123/1 121/2 122/2	1.619 4.556 4.451 0.809	0.171 0.262 0.213 0.049		
16	छोटी वाई पत्नी कोमलसिंह जाति किरार नि. छबारा.		122/1/1	0.984	0.165		
17	शिवराजसिंह आ. हल्कू जाति रघुवंशी नि. छबारा.		223/1 222/1 224	0.728 2.023 0.777	0.200 0.112 0.139		
18	सुरेन्द्र सिंह आ. मोहनसिंह जाति रघुवंशी नि. छबारा.		228/1	5.597	0.323		
19	विष्णुदेवी पत्नी रघुराज सिंह जाति रघु. निवासी छबारा.		228/2	5.666	0.354		
20	हेमलता पत्नी अरविन्द्र सिंह जाति किरार नि. ग्राम छबारा.		463 229	1.999 1.364	0.048 0.200		
21	राजकुमारी पुत्री विजयसिंह पत्नी कौशल चौधरी जाति किरार नि. बरेली.		230/4/1	0.607	0.226		
22	विजय सिंह उर्फ वैनी सिंह आ. विहारी लाल जाति किरार नि. छबारा.		462/3	0.809	0.149		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	केशरवाइ वि. अर्जुन सिंह जगदीश, हरिसिंह, रामसेवक रामेती वाई रामवाई शिकुन वाई सुनीता वाई आ. पन्ना लाल किरार नि. छबारा.	458/1	1.829	0.171			
24	राम मूर्ति आ. मोहन सिंह किरार नि. छबारा.	457	1.574	0.088			
25	हिम्मतसिंह आ. नन्हेवीर जाति रघुवंश नि. छबारा.	454/2	3.851	0.487			
26	फूलसिंह आ. मोहनसिंह जाति रघुवंशी नि. छबारा.	453/3	1.704	0.136			
27	मयंक आ. फूलसिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम छबारा.	452/1 452/4	1.619 1.214	0.324 0.024			
28	डोली पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति रघुवंशी नि. बरेली.	447/3/1	2.797	0.289			
29	रसिक नागर, रसिकलाल आ. रसिक दयाल, निरजंजा वि. रसिक दयाल जाति ब्राह्मण नि. पिपरिया.	447/2/1	2.424	0.004			
30	नरेन्द्र सिंह आ. कृष्ण कुमार रघु. नि. उटिया कलां.	447/5	4.047	0.415			
31	परमेश्वर दास आ. मंशाराम किरार नि. उटियाकलां.	448/2/2	0.683	0.134			
32	शंकर सिंह आ. सियाराम जाति धोवी.	448/2/1	0.405	0.052			

प्र. क्र. 4306-भू-अर्जन-16-प्र. क्र. 04-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-उदयपुरा.—चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय

में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:—

ग्राम का नाम—आवरिया, तहसील—उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आवरिया	अर्जन सिंह आ. वैद्यनाथ उर्फ मनमोद जाति लौधी.	206/1/1	1.902	0.243	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी, जिला रायसेन.	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु.
2		जगत सिंह आ. वैजनाथ उर्फ मनमोद जाति लोधी.	204	1.433	0.027		
3		वैजन्ती बाई पत्नी ओमकार जाति ब्राह्मण.	205/1	1.469	0.156		
4		औकार प्रसाद आ. गुट्टूलाल जाति ब्राह्मण.	205/2	1.470	0.260		
5		देवेन्द्र कुमार आ. घनश्याम प्रसाद जाति ब्राह्मण.	201/1/2	2.683	0.089		
6		भगवतस्वरूप आ. श्रीकिशन जाति ब्राह्मण.	201/2/2	2.011	0.324		
7		मनीष आ. श्रीकिशन जाति ब्राह्मण.	201/2/3	2.011	0.140		
8		कैलाशचन्द्र आ. अमरचन्द्र जाति साहू	189/1/1/2/2	0.955	0.176		
9		फूलचन्द्र आ. अमरचन्द्र जाति साहू.	189/1/1/2/1	0.551	0.177		
10		कृष्ण कुमार आ. गोरेलाल जाति गुप्ता, निवासी उदयपुरा.	190/2/1	0.930	0.131		
11		नरेन्द्र कुमार आ. गोरेलाल जाति गुप्ता नि. उदयपुरा.	190/1/2	0.466	0.131		
12		राधेलाल आ. गोरेलाल जाति गुप्ता, नि. उदयपुरा.	190/1/1	0.930	0.132		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	दौलतराम आ. टीकाराम जाति मैना.		191/1	1.692	0.264		
14	श्रीमति मायाबाई पुत्री मोहनलाल जाति साहू नि. छतैर.		191/2 51/3	0.405 0.809	0.138 0.111		
15	आलोक कुमार ना.वा.आ. नारायणदास संरक्षक मां मायाबाई पत्नी नारायणदास जाति साहू नि. छतैर.		51/2	0.809	0.135		
16	निधी आ. नर्वदाप्रसाद साहू निवासी छतैर.		51/1/2	0.506	0.012		
17	भगवानसिंह एवं शिवनारायण आ. परसराम जाति मैना.		51/1/1	1.113	0.235		
18	मोहनलाल आ. पन्नालाल जाति छीपा नि. छतैर.		48/1/2	1.011	0.013		
19	पंचा आ. बसोड़ी जाति सिलावट.		49/1	1.518	0.065		
20	अभिषेक आ. बालमुकन्द जाति रघुवंशी नि. उदयपुरा.		49/2/2/2	0.405	0.113		
21	मोहन एवं परसराम आ. करनसिंह जाति सिलावट.		49/2/2/1/1	0.558	0.089		
22	रामलाल आ. हरनाम जाति सिलावट.		49/2/1	0.405	0.150		
23	विजयसिंह आ. घांसीराम		43	1.408	0.005		
24	हरीराम आ. हरनाम जाति सिलावट.		44/3	0.577	0.120		
25	रम्मू आ. मनीराम जाति सिलावट.		44/4	0.570	0.162		
26	उत्तमसिंह आ. हरनाम जाति सिलावट.		44/2	0.571	0.089		
27	अवध कुमार आ. सहाब सिंह जाति रघुवंशी.		45	3.424	0.144		

ओ. पी. सोनी, सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 21 जुलाई 2016

प्र. क्र. 1-अ-82-पार्ट-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दत्तुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—मगरिया तहसील, कन्नौद, जिला देवास, कुल प्रस्ताव 1

क्र. (1)	पूरा नाम एवं पता (2)	खसरा क्रमांक (3)	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (4)
1	श्री विष्णुप्रसाद पिता गणेश जाति गुर्जर	01	0.52 हे.
2	श्री मनोज पिता प्रताप जाति गुर्जर	23/2	0.162 हे.
3	श्री मुकेश पिता प्रताप जाति गुर्जर	23/3	0.162 हे.
4	श्री विजयसिंह पिता रामकिशन जाति गुर्जर	24	0.17 हे.
5	श्री भगवान पिता रामचरण जाति गुर्जर	49	0.19 हे.
6	श्री गंगाधर पिता रामचरण जाति गुर्जर	50/1	0.01 हे.
7	श्री सुदामा पिता रामोतार जाति गुर्जर	44/1	0.088 हे.
8	श्री रामोतार पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	44/2	0.088 हे.
9	श्री अनोखी पिता रामोतार जाति गुर्जर	44/3	0.11 हे.
10	श्री लक्ष्मीनारायण पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर	142	0.15 हे.
11	श्री प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर	143	0.12 हे.
12	श्री हुकुमसिंह पिता राजाराम जाति गुर्जर	144	0.03 हे.

कुल सर्वे नम्बर 12

कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दत्तुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

देवास, दिनांक 27 जुलाई 2016

प्र. क्र. 1-अ-82-पार्ट-भू-अर्जन-2016-2265.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दत्तुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—बुरूट तहसील, कन्नौद, जिला देवास, कुल प्रस्ताव 01

क्र. (1)	पूरा नाम एवं पता (2)	खसरा क्रमांक (3)	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (4)
1	श्री अरूण पिता चम्पालाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	66/1	0.02 हेक्टर
2	श्री संतोष पिता चम्पालाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	66/3	0.24 हेक्टर
		67/1	0.12 हेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री अनिल पिता चम्पालाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	67/2	0.22 हेक्टर
4	श्री सीताराम पिता किशन जाति धोबी निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	69/1	0.16 हेक्टर
5	श्री अमरसिंह लाड़सिंह, साउबाई, छोटीबाई, सकूनबाई, छमाबाई, अनीता, शांताबाई पिता राजाराम, कमलाबाई, विधवा राजाराम, कोमल, संतोश, कन्हैया, मुकेश, शिव, राजेश, कृष्णाबाई, सीमाबाई, भूरी पिता जगराम, गीताबाई बेवा जगराम, गरूप्रसाद, सुशीलाबाई, कमला, गुलाब पिता नत्थू, झमियाबाई बेवा नत्थू, राजेश, सुशीला, संगीता, सुनील, सुमित्रा, अंकिता जाति धोबी निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	69/2	0.06 हेक्टर
6	श्री नंदकिशोर पिता बाबूलाल जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट तहसील कन्नौद.	71/73/1	0.06 हेक्टर
7	श्री जितेन्द्र पिता प्रेमनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	72	0.11 हेक्टर
8	श्री मदनलाल पिता बाबूलाल जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	73/2, 74/1	0.075 हेक्टर
9	श्री मोहनलाल पिता बाबूलाल जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	73/3, 74/2	0.075 हेक्टर
10	श्री प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	194/1	0.08 हेक्टर
11	श्री महेश पिता भुजराम जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	193/1, 197/1	0.22 हेक्टर 0.075 हेक्टर
12	श्री बलराम पिता जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	193/2/1	0.22 हेक्टर
13	श्रीमती सविताबाई पिता चुन्नीलाल, सुरेश पिता चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	17/1	0.08 हेक्टर
14	श्रीमती कमलाबाई विधवा हरिप्रसाद, संतोश, छगन, कपिल, ब्रजेश, रूखमणीबाई, प्रभावतीबाई, किरणबाई पिता हरिप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	27/1, 27/2	0.25 हेक्टर 0.04 हेक्टर
15	श्री रामनिवास पिता जगदीश, सत्यनारायण, रामविलास पिता बद्रीनारायण, शिवनारायण, मोहनलाल, श्रीनारायण, भागवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	28	0.36 हेक्टर
16	श्रीमती सुनीता पिता सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	337/1	0.10 हेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)
17	श्रीमती अनिता पिता सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट तहसील कन्नौद.	337/2	0.10 हेक्टर
18	श्री सत्यनारायण, रामनिवास, सत्यनारायण, रामविलास, नन्दलाल पिता बद्रीनारायण, जगदीश पिता रेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम बुरूट, तहसील कन्नौद.	338	0.09 हेक्टर

कुल सर्वे नम्बर 18

कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. भू-अर्जन-1227 (अ-82)-2014-15.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी विकासखण्ड स्थित मुरकी मध्यम परियोजना की नहर (आर.बी.सी.) निर्माण में प्रभावित ग्राम विनोदी मॉल प.ह.नं. 22 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दादूलाल पिता छोटेलाल	147	4.85	0.701	मुरकी मध्यम परियोजना के नहर (आर.बी.सी.) के निर्माण कार्य हेतु.
2	गंगासिंह दिवालसिंह पिता हीरासिंह, बिसमत बाई धर्मपत्नी स्व. नन्हेसिंह खेमसिंह देवेन्द्रसिंह पिता नन्हेंसिंह.	152	1.58	0.018	
		154	1.57	0.096	
		430	1.05	0.384	
			योग . .	<u>0.498</u>	
3	चंद्रसिंह पिता मीलन	153	0.25	0.063	
4	बासूलाल पिता मदती	161/1	1.88	0.288	
5	प्रेमसिंह समारीबाई पिता धनसिंह लाखन पिता नोहर.	161/2	0.6	0.048	
6	चन्दाबाई पति दयाराम दलवीर पिता दयाराम	162/1	1.15	0.326	
7	शोभित पिता सुखसेन	202/1	1.58	0.269	
		426	1.31	0.062	
			योग . .	<u>0.331</u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	प्रेमसिंह बंसूलाल सन्तराबाई पिता मोहन	207 212	1.1 3.4	0.355 0.312	
			योग . .	<u>0.667</u>	
9	द्रोपदी पुत्री नोहरसिंह	209 210	0.53 1.18	0.100 0.053	
			योग . .	<u>0.153</u>	
10	मूलचन्द राजकुमार प्रमोद पिता प्रतापसिंह	213 433	0.99 2.25	0.032 0.394	
			योग . .	<u>0.426</u>	
11	शांती पति सुन्दरसिंह	282	1.15	0.067	
12	सवनीबाई, छरकिन बाई ध. प. स्व. छोटेलाल, शांति बाई पुत्री छोटेलाल.	239 291	0.72 1.48	0.163 0.23	
			योग . .	<u>0.393</u>	
13	भंगी पिता सहबू	241 240	0.9 1.9	0.096 0.163	
			योग . .	<u>0.259</u>	
14	फुन्देलाल पिता सम्मन कलावती पति फूलचंद	242	1.02	0.096	
15	गोविन्दसिंह पिता कालूराम	255 424	2.4 1.44	0.058 0.307	
			योग . .	<u>0.365</u>	
16	जम्मन पति शिवप्रसाद	256	0.79	0.144	
17	दलसिंह पिता दीना	257	2.02	0.163	
18	मेको बाई ध. प. स्व. रामदीन चरनसिंह पि. रामदीन	278	1.5	0.384	
19	राधा बाई बेवा रघुवीर चंद्रभान कृपाल पिता रघुवीर	294 447 460	2.78 1.48 0.04	0.125 0.04 0.435	
			योग . .	<u>0.6</u>	
20	कुलपत, गनपत पिता देवल सूनी बेवा देवल	280 378 462	3.83 1.95 2.55	0.24 0.058 0.317	
			योग . .	<u>0.615</u>	
21	अमरसिंह, धरमसिंह, चरनसिंह, कुमारसिंह, सोमत सिंह पिता सुखसेन अमरत बाई पुत्री सुखसेन	427	1.31	0.326	
22	भंवरसिंह पि. फूलसिंह, सामवती, कोंदी, लम्मी पिता फूलसिंह रामफल, चौधर पिता कुवरसिंह	437	3.27	0.125	
23	कलावती पति शोभित	438	1.5	0.192	
24	चम्मरसिंह व मुल्लु जम्मनबाई बेवा छोटेलाल महेन्द्र अ.पि. छोटेलाल आरती पुत्री छोटेलाल आ.पा.मॉ जम्मनबाई.	448	1.33	0.298	
25	चमरा पिता दलपत	449	0.24	0.134	
26	नरबदसिंह पिता भददेलाल कलावती ध.प. स्व. भददेलाल	469	0.13	0.067	
			कुल योग . .	<u>7.71</u>	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमिस्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बाबत दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी.

क्र. भू-अर्जन-1229 (अ-82)-2014-15.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी विकासखण्ड स्थित मुरकी मध्यम परियोजना की नहर (आर.बी.सी.) निर्माण में प्रभावित ग्राम नूनखान रैयत प.ह.नं. 25 रा. नि. मं. विक्रमपुर तहसील डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रतनू पिता धोकल	619	0.67	0.204	मुडकी मध्यम परियोजना के
2	रामगोपाल पिता रुपसिंह	11(2)	0.77	0.24	नहर निर्माण हेतु.
3	किरौ पिता धनुवा	17	2.47	0.067	
4	सनरी वगैरह	18(1)	3.73	0.163	
5	फूलसिंह पिता लददर	19	4.86	0.48	
6	भोला सखुआ नन्हेराम नवलू भागवत	21	0.9	0.038	
7	पिता बिरझू तितरीबाई कलावती पुत्री बिरझू	22	0.6	0.202	
8	नवलू पिता बिरझू	30(1)	1.18	0.211	
9	छोटी ध. प. स्व. छोटा, छोटा पिता मदनसिंह	30(2)	1.19	0.25	
10	छोटा, तिहारोबाई फगनीबाई, सुम्मीबाई, पिता छोटा	33(1)	0.78	0.115	
11	सहबू पिता टिकैता	33(2)	0.77	0.106	
12	कुतीबाई ध. प. स्व. फुदीलाल रामू ना पा रमेश	34	0.98	0.23	
13	फुदी बुद्धीबाई पिता फुदीलाल.	49(1)	1.72	0.144	
14	भदिया ध. प. गनेशा धरमू मंगल लामू पि	84(1)	0.09	0.043	
15	गनेशा भुखिया जो खुशीराम भदिया पि गनेशा.	योग 2			
16	लालजू पिता बिछी	49(2)	1.72	0.336	
17	सुन्दरिया ध प स्व तितरा सिमलिया संतू अंता	54	0.6	0.168	
18	पिता तितरा सुमन्त्री ध प स्व रतू सुरेश नरेश	179	0.35	0.026	
19	नरसिंह दशरथ पिता रतू कलावती पिता	योग 2			
20	प्रेमलाल प्रहलाद केहर बजरिया पिता प्रेमलाल.	55	0.67	0.096	
21		180	0.35	0.043	
22		185	0.85	0.307	
23		योग 3			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	बुददू पिता रोवन	56	0.36	0.086	
18	कमलसिंह समारू बशरह	80	0.38	0.048	
19	कवलसिंह पिता समारू	81	0.38	0.067	
20	धरमसिंह पिता सोनू	82	0.29	0.067	
21	बजरी ध प पतिलाल	85	0.1	0.015	
22	गुलबसिया पिता धोकल	91(3)	1.75	0.384	
23	लखनलाल पिता फूलचंद	165/2	0.58	0.204	
24	भुखिया बं खुशीलाल ईन्द्रसिंह खुशीलाल नवलू दुखवा बुधवरिया बं दुखवा	178	0.28	0.027	
25	सालिकराम पिता रामप्रसाद	181	4.94	0.575	
26	जीयतराम पिता रामप्रसाद	182	0.4	0.022	
27	मंगलराम पिता छोटा	186(6)	0.1	0.077	
28	रामरतन पिता रामगुलाम	187	3.23	0.801	
29	डुमरा पिता ढकना	195	1.05	0.405	
30	मंगल पिता भददू	610	1.75	0.763	
31	हीराराम, ताराबाई, मुनीबाई, श्रीवती पिता अमरसाय	612(1)	3.01	0.16	
32	सूनी ध प टीकाराम संतोष पिता अमर	616	0.2	0.010	
33	लामू पिता बजरू	617	1.2	0.144	
34	दुरपत व रमैया, कृष्णा ध. प. स्व. रमैया	618(1)	2.75	0.336	
			कुल रकबा (हे. में) . .	7.66	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी.

क्र. भू-अर्जन-1230 (अ-82)-2014-15.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम मोरचा रैयत प.ह.नं. 11 रा. नि. मं. विक्रमपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी :—

अनुसूची

ग्राम का नाम	क्र.	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. मे.)	वर्तमान में अर्जित रकबा (हे. मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मोरचा रैयत	1	बरातू पिता चैतू अहिर	265	0.15	0.05	बिलगाँव
			36	1.66	0.30	मध्यम
			63	1.29	1.29	परियोजना.
			योग	3.10	1.64	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	सतीशकुमार आशीषकुमार अज्ञान पुत्रगण रामगोपाल पालक रामगोपाल.		266	1.80	1.43	
3	मंहगी बाई ध. प. स्व. कंधी सूरतलाल पिता कंधी जगुतिया हंसी पुत्री कंधी मत्तू लाल उत्तम मूलचंद पिता भंगी मथुरिया मंती जानकी पार्वती पुत्री भंगी फुलमत पुत्री जोलाल.		256 55 योग	2.43 0.53 4.76	2.19 0.53 4.15	
4	पुसिया वे. समारू मुलिया पुत्री समारू साहू शाहमेन करन पिता सामरू रामबाई ध. प. स्व. लम्मू सुरेन्द्र महेन्द्र दुर्गेश पिता लम्मू गोमती सोमती पुत्री समारू.		259	0.65	0.58	
5	बजरी बाई श्याम बाई पति सोहन अनेक लाल मानिकलाल अमरलाल पिता सोहन सुनीता गीता धन्नी जमनी रामप्यारी पुत्री सोहन.		258	0.44	0.44	
6	गुलाबी बाई पति नोहरा रामकुमार रामनाथ पिता नोहरा सरस्वती द्रोपती राजकुमारी पुत्री नोहरा.		257	0.46	0.46	
7	जिया लाल जयलाल पिता लमुआ भददू पिता काना डूमनिया ध. प. स्व. शुद्ध गंगराम पिता शुद्ध तिजिया चरी बाई पुत्री काना.		254 252 66 योग	0.47 1.40 0.56 2.43	0.47 1.40 0.56 2.43	
8	रामविशाल पिता परभू		249 236 47/1 योग	0.66 0.09 0.16 0.91	0.66 0.09 0.016 0.91	
9	बंसता डुमारी पिता साहू		248 247 270 72 योग	0.47 1.63 0.14 0.41 2.65	0.47 1.63 0.14 0.41 2.65	
10	नोहर लाल पुत्र जुररू		244 87 59 योग	3.71 0.15 4.07 7.93	3.71 0.15 3.57 7.43	
11	परवतिया ध. प. स्व. घिसला मन्ना रामलाल पिता घिसला उर्मिला देवकी रामकली रामकुमारी पुत्री घिसला.		235 234 95 93 योग	0.16 0.24 0.80 0.04 1.24	0.16 0.24 0.80 0.04 1.24	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	इतवरिया बाई ध. प. स्व. बसोरी गुलाब पिता बसोरी		233	0.28	0.28
	कुसुमबाई चंदा बाई पुत्री बसोरी सुखसेन हंसलाल बजागी		269	3.06	3.06
	पु. गण नवलू फगगू दुखवा पु. गण महासिंह.		86	0.75	0.75
			योग	4.09	4.09
13	सुन्ने लाल पुत्र सम्पत		271	1.43	1.43
14	सम्हर लाल पु. सम्पत लाल		230	1.42	1.42
15	सूरत लाल पु. कंधी लाल		229	0.06	0.06
			228	0.18	0.18
			285	0.50	0.45
			योग	0.74	0.69
16	विमला पुत्र रामेश्वर		283	0.06	0.06
17	धनैया पुत्र रामेश्वर		284	0.06	0.06
			30	1.25	0.25
			योग	1.31	0.31
18	अश्विनी कुमार. पि. तोकराम		282	0.71	0.60
19	मतवा पुत्र भंगी		281	0.49	0.49
20	मंहगी बाई ध. प. स्व. कंधी सूरतलाल पिता कंधी		56	0.81	0.81
	जगुतिया हंसी पुत्री कंधी.				
21	शिवसुन्दर पिता प्रेमरतन		50	2.70	0.20
22	हंसलाल अमरसिंह अमृत पिता भददेलाल तुलसीबाई		48	1.56	1.00
	गनसिया बाई.				
23	तेजश कुमार पि. विजय कुमार		47/2	1.40	0.70
24	शिवनाथ पुत्र जेट्टु		46	1.90	0.50
25	दिलीप कुमार पिता आर. सी. गुप्ता		42	0.42	0.32
26	चमरा रामकुमार शिवकुमार पिता भीखम		41	0.73	0.37
27	सेमती पुत्र गरभू		39	0.80	0.40
28	गुलाबवती पति रामकुमार		38	1.02	0.25
			69	0.22	0.22
			योग	1.24	0.47
29	रामकुमार व. छतरू		37/2	1.37	0.15
30	सम्पत पुत्र विरझू		35	2.08	0.30
			77	0.10	0.10
			79	1.02	1.02
			योग	3.20	1.42
31	बजागी पिता सुखलाल बजरिया पुत्री सुखलाल		33/1/1	0.27	0.08
32	दुलियाबाई पति बुद्धसेन सम्हेलाल पि. बुद्धसेन हीरालाल		33/3	0.55	0.08
	सेमलाल पि. शम्भूलाल अमसिया अमरतिया सम्पतिया				
	पुत्री बुद्धसेन.				
33	नन्हीबाई अघनीबाई पति हंसलाल मूलचंद इतरा पैतृ पि.		33/2	0.54	0.07
	हंसलाल कलिया रामकली पुत्री हंसलाल पन्नेलाल				
	दीवाल पिता पतिराम.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	कुंवरलाल पिता किरा		33/4	0.54	0.07	
35	साहू इन्दर पिता भददेलाल		78	0.59	0.59	
36	रामेशकुमार पिता टीकारा		82	0.34	0.34	
37	भागचंद पुत्र गोकल		83	0.38	0.25	
38	कुवर झमिया नवल सिंह बदादुर पुषना बगैसुविया पु. गण अजरू कुवरिया वे. देवसिंह गुरदन रामदीन पिता देवसिंह बिसमत बिसरी चेमा पुत्री देवसिंह.		85	0.12	0.12	
39	जमनीबाई ध. प. स्व. नरबद रमेश कुमार पिता टीकाराम सेमबाई रामबाई ओमबाई पिता नरबद		81	0.30	0.30	
			75	0.18	0.18	
			88	0.48	0.48	
			योग	0.96	0.96	
40	बाबूलाल पुत्र विनोषा		74	0.47	0.47	
41	हंसी पत्नि छतरु		73	0.59	0.59	
42	बजागी गनपत विषल अघनू पिता चुनैया बजरिया नन्ही पुत्री चुनैया.		71	1.00	1.00	
43	पडसू पुत्र लम्पू		67	0.12	0.12	
44	मल्लू भगवानदीन रामदीन पिता मडैया नन्ही रम्ही रामकली पुत्री मडैया		94	0.05	0.05	
			65	0.33	0.33	
			262	0.67	0.00	
			योग	1.05	0.38	
45	शेरसिंह पिता रमलू		64/1	0.56	0.16	
46	नन्दलाल पिता रमलू		64/2	0.16	0.16	
47	अशोक चौबे पिता केशव प्रसाद नि. ग्रा. टिकरिया		64/4	0.40	0.40	
			64/3/2	0.34	0.34	
			योग	0.74	0.74	
48	जयलाल पिता रमलू		64/3/1	0.16	0.16	
49	जगदीश प्रसाद व सम्पत		62	1.44	1.44	
50	दरबारी पिता सुन्देलाल		76	0.46	0.46	
51	सोनसाय पिता नन्हू		227/1	0.07	0.07	
52	सोनू पिता नन्हू		227/2	0.08	0.08	
53	चन्दाबाई ध. प. स्व. सुन्दर शिवकुमार पिता सुन्दर शेवकीबाई पुत्री सुन्दर पचलीबाई पुत्री नन्हू		227/3	0.07	0.07	
54	बस्सोबाई बेवा नन्हू		264	2.26	0.00	
			263	0.05	0.00	
55	भागवत पिता बाबूलाल		261	1.63	0.00	
56	विवेक कुमार पिता मुकेश ना. बा. वगै.		267	0.66	0.00	
			योग	66.81	45.82	
	शासकीय भूमि—60, 61, 34, 31, 32, 49, 70, 68, 288			8.02	6.93	
	245, 251, 253, 255, 80, 84 एवं 237					
			कुल योग	74.83	52.75	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत/दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेंगी.

क्र. भू-अर्जन-1231 (अ-82)-2014-15.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड के स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम मोरचा माल प.ह.नं. 11 रा. नि. मं. विक्रमपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम का नाम	क्र.	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. मे.)	वर्तमान में अर्जित रकबा (हे. मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मोरचा माल	1	साहू साहमेन करन पिता समारू रामबाई वेवा लम्मू	92	0.71	0.71	बिलगाँव मध्यम परियोजना
		पुसिया वेवा समारू	72	0.10	0.10	
			योग	0.81	0.81	
	2	विश्वनाथ पिता छोटे	93	0.31	0.31	
			4/1	0.67	0.67	
			योग	0.98	0.98	
	3	सम्पत लम्मू गोंविन्द पिता नानस	89	0.35	0.35	
	4	बजरी बाई श्याम बाई ध. प. स्व. सोहन अनेक लाल	88	0.29	0.29	
		मानिकलाल अमर लाल पिता सोहन सुनीता गीता धन्नी	86	0.37	0.37	
		जमनी रामप्यारी पुत्री सोहन	85	1.38	1.38	
			योग	2.04	2.04	
	5	सोमी बाई वेवा भददू चमनिया डुमनिया पुत्री भददू चूरामन ननसा ननसैया पिता मातादीन	84	0.90	0.88	
	6	सोमी बाई ध. प. स्व. भददू	83/1	0.30	0.30	
	7	चमनिय बाई ध. प. स्व. भददू	83/2	0.30	0.30	
	8	डुमनिया बाई ध. प. स्व. भददू	83/3	0.30	0.30	
	9	राजेश कुमार दिनेश कुमार पिता रामगोपाल	82	1.60	1.60	
	10	फगगू पिता हीरा	81	0.78	0.78	
	11	सुखमत पति चचरू प्रेमलाल पिता चचरू प्रेमवती भगवनिया पुत्री चचरू.	80	0.40	0.40	
	12	तीरथ पिता छंगना महली वेवा छंगना	79	0.40	0.40	
	13	बट्टू पिता सूना	78	0.34	0.34	
	14	फगनू दुखवा पिता महासिंह	76	0.56	0.56	
	15	रामू व अजमेर	75	0.40	0.40	
	16	राजेश कुमार पिता रामगोपाल	71	3.51	3.51	
	17	गोरे लाल पिता फदली	70	0.15	0.15	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	चैता चैतू कोनिल वेवा बाबूलाल डमरा डमनिया पिता		73	0.55	0.55	
	बाबूलाल पिता चमरा, नानसी वे. चमरा रामकली रामबाई		8	0.10	0.10	
	पिता चमरा नानसी.		138	0.63	0.50	
			योग	1.28	1.15	
19	प्रेमलाल पिता विषनाथ		7	0.48	0.48	
20	सुदामा पिता गुहरा		5/1	0.23	0.23	
21	कंधई पिता गुहरा		5/2	0.23	0.23	
22	नत्थू पिता करम		4/2	0.24	0.24	
23	गेमती बाई वे. सद्दूवा श्याम लाल पिता सद्दूआ		9	0.16	0.16	
24	सोमी बाई ध. प. स्व. भद्दू चमनिया डमनियन पुत्री		10	0.20	0.20	
	भद्दू ननसा ननसैया चूरामन पिता मातादीन भद्दी नानसी					
	पुत्री मातादीन.					
25	लच्छू पिता ललसू		11	0.19	0.19	
			133	0.15	0.10	
			योग	0.34	0.29	
26	फूल सिंह पिता सतोला चमरी बाई वेवा संतोला		3	0.51	0.51	
27	भंगी व रत्तू		2	0.70	0.70	
28	दशरथ व रत्तू भंगी पिता रत्तू		1	0.70	0.70	
29	सुखसेन पिता नवलू		13	0.19	0.19	
30	बजागी पिता नवलू		24	0.30	0.30	
31	नन्हू कातिकराम धन्नु पिता मिहिलाल सेगबाई		123	0.20	0.05	
	ध. प. स्व. मन्नु हीरालाल पिता मन्नु भरी उपासना		139	1.24	1.00	
	मिन्दों पुत्री मन्नु.					
			कुल योग	1.44	1.05	
32	गुलबीबाई वेवा नोहरा राममुमार रामनाथ पिता नोहरा		57	0.26	0.15	
			136	1.14	0.50	
			योग	1.40	0.65	
			निजी भूमि योग	22.52	21.18	
			शासकीय भूमि—12, 6, 14, 129, 137, 87 एवं 63	4.62	3.50	
			कुल योग	27.21	24.68	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत्/दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मंडी निर्वाचन), जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्र. मण्डी निर्वा.-2016-196.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं विनोद शर्मा, कलेक्टर, मुरैना मंडी अधिनियम की धारा 11(1) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अंतर्गत मुरैना जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि निर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1) (2)	(3)	(4)
1	अम्बाह श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, विधानसभा सदस्य विधानसभा क्षेत्र दिमनी.	धारा 11(1)घ
2	पोरसा श्री चरणसिंह तोमर पुत्र श्री चिम्मनसिंह तोमर विधायक प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र अम्बाह, जिला मुरैना.	धारा 11(1)घ

विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मण्डी निर्वाचन).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मंडी निर्वाचन), जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. क-नि.शा-मण्डी निर्वा.-2016-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जे. पी. आईरिन सिंधिया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) बुरहानपुर कृषि उपज मण्डी समिति बुरहानपुर के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करती हूँ :-

स. क्र.	निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री प्रभाकर पिता नारायण गावण्डे, ग्राम चापोरा तहसील जिला बुरहानपुर.	माननीय सांसद श्री नन्दकुमारसिंह चौहान (खण्डवा/ बुरहानपुर क्षेत्र)	11(1) (घ)

जे. पी. आईरिन सिंधिया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मंडी निर्वाचन), जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. 1383-मंडी-उप निर्वा.-2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, पाटन जिला जबलपुर के व्यापारी प्रतिनिधि के उप निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार व्यापारी प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

क्र. (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री अजय मेंहदीरत्ता	व्यापारी प्रतिनिधि	वार्ड नं. 15 पाटन जिला जबलपुर.

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मण्डी निर्वा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश)

झाबुआ, दिनांक 26 जुलाई 2016

संशोधित

क्र. 5414-व.लि 1-2016.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-94-95-व.लि. 1-2016 दिनांक 4 जनवरी 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में घोषित तीन स्थानीय अवकाशों में से गणेश चतुर्थी दिनांक 5 सितम्बर 2016 (सोमवार) को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर दिनांक 9 अगस्त 2016 (मंगलवार) विश्व आदिवासी दिवस को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है. शेष अवकाश पूर्ववत् रहेंगे. टीप:-

- (1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.
- (2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएँ नियत है. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेगी.

अरूणा गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्ष की कालावधि के लिये किया जाता है।

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	धारा (2)	उपधारा (3)	नाम सदस्य व पता (4)
1	13	2 (क)	जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली 1. श्री अशोक सिंह पैगाम, देवसर, जिला-सिंगरौली (म. प्र.)
2	13	2 (ख)	2. श्री राजकुमार साकेत, ग्राम+पो-पुरैल, तहसील-सरई, जिला-सिंगरौली (म. प्र.) 3. श्री हरिशंकर शाह, माड़ा, जिला-सिंगरौली (म. प्र.)
3	13	2 (ग)	1. श्री अमर सिंह (भूतपूर्व विधायक) चितरंगी, सिंगरौली (म. प्र.) 2. श्री मेघनाथ वैश्य, ग्राम-करौंटी, जिला-सिंगरौली (म. प्र.)
4	13	2 (घ)	1. पुलिस अधीक्षक, जिला-सिंगरौली (म. प्र.) 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली (म. प्र.) 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-सिंगरौली (म. प्र.)
5	13	2 (ङ)	प्रबंधक लीड बैंक जिला-सिंगरौली (म. प्र.)

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति सिंगरौली का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्ष की कालावधि के लिए किया जाता है।

01 उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति सिंगरौली

क्र. (1)	धारा (2)	उपधारा (3)	नाम सदस्य व पता (4)
1	13	3 (क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली
2	13	3 (ख)	1. श्री बीरबल सिंह आत्मज श्री जीतन सिंह गोंड ग्राम-मलगो, पो.- मकरोहर, जिला-सिंगरौली (म. प्र.). 2. श्री राजू साकेत आत्मज श्री केवला साकेत ग्राम-नगवां, पो. कर्सुआलाल, जिला-सिंगरौली (म. प्र.) 3. श्री देवलाल शाह आत्मज श्री बबन प्रसाद शाह ग्राम बसौड़ा (चांचर) पो - जरहों, जिला-सिंगरौली (म. प्र.)
3	13	3 (ग)	1. श्री सत्येन्द्र शाह (एडवोकेट) सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय (एडवोकेट) सामाजिक कार्यकर्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
4	13	3 (घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैढन 2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-बैढन 3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बैढन
5	13	3 (ङ)	प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक शाखा बैढन
6	13	3 (च)	तहसीलदार, तहसील-सिंगरौली

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति देवसर का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्ष की कालावधि के लिये किया जाता है।

02 उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति देवसर

क्र. (1)	धारा (2)	उपधारा (3)	नाम सदस्य व पता (4)
	13	3 (क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवसर
01	13	3 (ख)	1. श्री केशव सिंह गोंड निवासी पेड़रा, तहसील-सरई, जिला सिंगरौली 2. श्री रामनाथ प्रजापति पिता वंशधारी प्रजापति, निवासी मजौना, तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली (म. प्र.). 3. श्रीमती सुखनी देवी, निवासी खोभा, तहसील देवसर, जिला-सिंगरौली.
02	13	3 (ग)	1. श्री रामनरेश द्विवेदी, निवासी ग्राम-सहुआर. तहसील-देवसर 2. श्री समयलाल साकेत, निवासी-अकौरी, तहसील-देवसर
03	13	3 (घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, देवसर 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड, देवसर 3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, देवसर
04	13	3 (ङ)	प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा-जियावन
05	13	3 (च)	तहसीलदार, तहसील देवसर

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति चितरंगी का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिये किया जाता है।

03 उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति चितरंगी

क्र. (1)	धारा (2)	उपधारा (3)	नाम सदस्य व पता (4)
	13	3 (क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चितरंगी
01	13	3 (ख)	1. श्री प्रभात कुमार सिंह गोंड, ग्राम व पो.-चितरंगी, 2. श्री लालपती साकेत, ग्राम व पो.-चितरंगी, 3. श्री रामजी गुर्जर, ग्राम व पो.-सिलफोरी, चितरंगी, जिला सिंगरौली (म. प्र.).

(1)	(2)	(3)	(4)
03	13	3 (ग)	1. श्री राजेश सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम-पोंड़ी, पो.-लमसरई, तहसील-चितरंगी जिला-सिंगरौली (म. प्र.). 2. श्री बालेन्द्र चौबे, सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम खैड़ार, तहसील-चितरंगी, जिला-सिंगरौली (म. प्र.).
04	13	3 (घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चितरंगी 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड, चितरंगी 3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, चितरंगी.
05	13	3 (ङ)	प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक शाखा चितरंगी
06	13	3 (च)	तहसीलदार, तहसील चितरंगी.

शशांक मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन), जिला दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 2 जून 2016

क्र. मण्डी निर्वा.-2016-2017-69.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मदन कुमार, कलेक्टर, दतिया मंडी अधिनियम की धारा 11(1) घ के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधियों का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत दतिया जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मंडी अधिनियम की धारा (4)
1	सेवड़ा	श्री आलोक सिंह परिहार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्र. 13 सेवड़ा, जिला दतिया.	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (ज)
2	—''—	श्री पवन कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड सेवड़ा.	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (च)
3	—''—	श्री मुमताज खान, अध्यक्ष, भवानी विपणन सह. संस्था मर्या. सेवड़ा, वार्ड क्र. 15 नाजिर की बगिया, सेवड़ा.	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (ङ)
4	—''—	श्रीमती कुंअर सेंगर, संचालक, जिला सहकारी बैंक मर्या. दतिया.	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (ज)
5	—''—	श्री प्रवीण गोस्वामी, विधायक प्रतिनिधि, निवासी सेवड़ा, जिला दतिया.	अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (घ)

मदन कुमार, कलेक्टर

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-34-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, 21°42'24.8" से 21°43'02.5" उत्तर अक्षांश तथा 78°24'26.4" से 78°25'13.3" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—बैतूल, तहसील—मुलताई, वनमंडल—दक्षिण बैतूल, वन परिक्षेत्र—मुलताई

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	घाटबिरोली-खंबारा.	घाट बिरोली खंबारा.	वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित भूमि.	538 540 541/2 914/ 2 916 917 922/1 922/ 2 923/2 927 237/4	1.166 1.987 4.552 4.049 1.344 0.939 7.545 5.000 6.344 2.679 6.172	उत्तर—मुनारा क्र. 26 से 36 एवं 40 से 84 एवं ग्राम-घाटबिरोली भूमिस्वामी खसरा क्र. 541/1 की दक्षिण-पश्चिम सीमा, खसरा क्र. 541/6 की दक्षिण सीमा, खसरा क्र. 545 की दक्षिण सीमा बीच में रास्ता एवं खसरा क्र. 915 की दक्षिण-पूर्व सीमा, खसरा क्र. 547 की पूर्व सीमा, खसरा क्र. 548 की पूर्व सीमा, खसरा क्र. 914/1 की पश्चिम-दक्षिण-पूर्व सीमा, खसरा क्र. 913 की पूर्व सीमा, खसरा क्र. 912 की पूर्व सीमा, खसरा क्र. 928 की दक्षिण सीमा, खसरा क्र. 929 की दक्षिण सीमा, खसरा क्र. 926 की पश्चिम-दक्षिण सीमा, खसरा क्र. 924 की दक्षिण-पश्चिम-उत्तर सीमा, खसरा क्र. 923/1 की दक्षिण सीमा. पूर्व—मुनारा क्र. 84 से 103 एवं ग्राम घाटबिरोली भूमिस्वामी खसरा क्र. 923/1 की पश्चिम-दक्षिण सीमा, खसरा क्र. 941 की पश्चिम सीमा, ग्राम खंबारा खसरा क्र. 237/3 की उत्तर-पश्चिम-दक्षिण सीमा एवं ग्राम सीमा खंबारा, रास्ता तथा खसरा क्र. 237/2 की पश्चिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्र. 103 से 132 एवं 38 तथा 1 से 9 एवं ग्राम खंबारा भूमिस्वामी खसरा क्र. 237/1 की उत्तर सीमा, खसरा क्र. 226 नाला, खसरा क्र. 230 की उत्तर-पूर्व सीमा, खसरा क्र. 229 रास्ता, खसरा क्र. 228 की उत्तर सीमा एवं ग्राम सीमा, ग्राम घाटबिरोली खसरा क्र. 921/3 की पूर्व सीमा खसरा क्र. 921/2 की पूर्व सीमा, खसरा क्र. 921/1 की पूर्व-उत्तर-पश्चिम सीमा, खसरा क्र. 920 की उत्तर सीमा, खसरा क्र. 918 की उत्तर सीमा शासकीय भूमि खसरा क्र. 539 की पूर्व-उत्तर-पश्चिम सीमा, खसरा क्र. 918 की पश्चिम सीमा तथा ग्राम सीमा खंबारा.

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र. योग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 41.777	
						पश्चिम:- मुनारा क्रमांक-09 से 26 एवं ग्राम-घाट बिरोली खसरा क्रमांक 534 नाला तथा भूमिस्वामी खसरा क्रमांक 532/2 एवं 532/1 की उत्तर सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक पत्र क्र./6-एम.पी.सी. 054/2014/-बी.एच.ओ./185 दिनांक 16.02.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना महाप्रबंधक रिलायंस गैस पाईप लाईन्स लिमिटेड, नवी मुम्बई की स्वीकृत परियोजना शहडोल-फूलपुर गैस पाईप लाईन निर्माण में प्रभावित 37.493 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 41.777 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 41.777 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में तहसीलदार-मुलताई का नामांतरण पंजी के आदेश क्रमांक 3 एवं 4 दिनांक 19.03.2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :-निरंक.....

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मुलताई के प्रतिवेदन क्रमांक/3782 दिनांक 10.12.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-34-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-34-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-34-/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21°42'24.8" to 21°43'02.5" North Latitude and 78°24'26.4" to 78°25'13.3" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Betul
Forest Division :- South Betul

Tahsil :- Multai
Forest Range :- Multai

S.N	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Ghatbiroli-Khambara	Ghatbiroli Khambara	Transferred and Mutated in favor of the Forest Department	538	1.166	<p>North: Pillar No. 26 to 36 and 40 to 84 and Village-Ghatbiroli South-West Boundary of Land Holder Khasra No. 541/1, Southern Boundary of Khasra No. 541/6, Southern Boundary of Khasra No.545, South-East Boundary of Khasra No.915 and Intermediate Road, Eastern Boundary of Khasra No. 547 and 548, West-South-East Boundary of Khasra No.914/1, Eastern Boundary of Khasra No. 913 and 912, Southern Boundary of Khasra No. 928 and 929, West-South Boundary of Khasra No. 926, South-West-North Boundary of Khasra No. 924, Southern Boundary of Khasra No. 923/1.</p> <p>East: Pillar No. 84 to 103 and Village-Ghatbiroli West-South Boundary of Land Holder Khasra No.923/1, Western Boundary of Khasra No. 941, Village-Khambara North-West-South Boundary of Khasra No. 237/3 and Village Boundary of Khambara and Road and Western Boundary of Khasra No. 237/2.</p> <p>South: Pillar No. 103 to 132, 38 and 1 to 9 and Village-Khambara Northern Boundary of Land Holder Khasra No. 237/1, Khasra No. 226 Nala, North-East Boundary of Khasra No. 230, Khasra No.229 Road, Northern Boundary of Khasra No. 228 and Village Boundary, Village-Ghatbiroli Eastern Boundary of Khasra No.921/3, Eastern Boundary of Khasra No.921/2, East-North-West Boundary of Khasra No.921/1, Northern Boundary of Khasra No. 920, Northern Boundary of Khasra No. 918, East-North-West Boundary of Govt. Land Khasra No.539, Western Boundary of Khasra No. 918 and Village Boundary of Khambara.</p> <p>West: Pillar No. 09 to 26 and Village-Ghatbiroli Khasra No. 534 Nala, Northern Boundary of Land Holder Khasra No. 532/2 and 532/1.</p>
				540	1.987	
				541/2	4.552	
				914/2	4.049	
				916	1.344	
				917	0.939	
				922/1	7.545	
				922/2	5.000	
				923/2	6.344	
				927	2.679	
				237	6.172	
		Total	41.777			

(A) Reason for publication of Notification:

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 6-MPC054/2014-BHO/185 dated 16.02.2015 and in lieu of 37.493 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Shahdol-Phulpur Gas Pipe line Construction of Project Manager Reliance Gas Pipeline (Navi Mumbai)**, the above mentioned Non Forest Land of 41.777 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 3 and 4 dated 19.03.2015 of **Tahsildar Multai** for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons

.....**Nil**.....

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no. 3782 dated 10.12.2015 of **Tahsildar Multai** are as under.

1. **Individual Rights** - There are no individual rights on the said land.
2. **Community Rights** - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-36/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°53'17" से N 21°53'41" उत्तर अक्षांश तथा E 80°13'23" से E 80°13'59" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

तहसील - बालाघाट

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

वन परिक्षेत्र - बालाघाट (सा.)

क्र	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	आगरवाडा	आगरवाडा	सरकार, घांस सरकार, चराई	247/1/3 251/1	26.374 11.002	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 683 के मुनारा क्रमांक 15 से 26 तक वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 682 के मुनारा क्रमांक 26/19 से 17 तक वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 682 के मुनारा क्रमांक 17 से 11 तक वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 682 के मुनारा क्रमांक 11 से संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 683 के मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	37.376	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC014/2015-BHO/527 दिनांक 08.06.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना पचामा जलाशय योजना के निर्माण में प्रभावित 18.688 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 37.376 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 37.376 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र./45/अ-59/2013-2014 दिनांक 09.06.2014 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बालाघाट, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-36-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-36-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-36/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21°53'17" to N 21°53'41" North Latitude and E 80°13'23" to E 80°13'59" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat
Forest Division : - South Balaghat (Territorial)

Tahsil : - Balaghat
Forest Range : - Balaghat (Territorial)

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Agarwada	Agarwada	Sarkar, Ghansh Sarkar, Charai	247/1/3	26.374	North- Compartment No. 683 protected forest of Pillar no. 15 to 26. East- Compartment No. 682 protected forest block of Pillar no. 26/19 to 17. South- Compartment No. 682 protected forest block of Pillar no. 17 to 11. West - Compartment No. 682 of Pillar No. 11 to Protected Forest of Compartment No. 683 of Artificial Forest Boundary Pillar No. 15.
				251/1	11.002	
				Total	37.376	

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 6-MPC014/2015-BHO/527 dated 08-06-2015 and in lieu of 18.688 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Construction of Pachama Tank scheme of Executive Engineer, Water Resources Division in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 37.376 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./45/अ-59/2013-2014 dated 09-06-2014 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Balaghat – District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-39/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (कमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड से N 24° 24' 32.5" से N 24° 24' 35.0" उत्तर अक्षांश तथा E 78° 18' 3.0" से E 78° 18' 9.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – सागर

तहसील – बीना

वन मंडल – उत्तर सागर (सा.)

वन परिक्षेत्र – खुरई

अनु. क.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	दुधावनी	दुधावनी	छोटा घांस	363/15 363.16	0.499 0.500	उत्तर :- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा कमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा कमांक 02 से पी.एफ. 18 के मुनारा कमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :- पी.एफ. 18 के मुनारा कमांक 14 से 13 तक की वन सीमा। पश्चिम :- पी.एफ. 18 के मुनारा कमांक 13 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा कमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			Total:-		0.999	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- 1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.सी057/2008-बी.एच.ओ./130 दिनांक 20.01.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे. रामराजा सरकार स्टोन्स ललितपुर की स्वीकृत परियोजना फर्शी-पत्थर लीज मे. रामराजा सरकार स्टोन्स ललितपुर में प्रभावित 0.999 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 0.999 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.999 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 4अ/19 (4)/08-09 दिनांक 30.06.2009 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।
- 2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 4अ/19 (4)/08-09 दिनांक 30.06.2009 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
- (अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
- (ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है।
- अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-39-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-39-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-39/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 24' 32.5" to N 24° 24' 35.0" North Latitude and E 78° 18' 3.0" to E 78° 18' 9.0" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar

Tahsil - Bina

Forest Division - North Sagar (T)

Forest Range - Khurai

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dhudhwani	Dhudhwani	Choota Ghas	363/15 363/16	0.499 0.500	<p>North :- Proposed protected Forest Block Artificial Forest Boundary of New Pillar No. 01 to 02.</p> <p>East :- Proposed protected Forest Block Artificial Forest Boundary New Pillar No. 02 to 14 of PF 18.</p> <p>South :- Forest Boundary of PF 18 Pillar No. 14 to 13.</p> <p>West :- Artificial Forest Boundary of PF 18 Pillar No. 13 to Proposed Forest Block Pillar No. 01.</p>
			Total:-		0.999	

Reason for Publication of Notification:-

1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPC057/2008-BHO/130 Dated 20-01-2010 and in lieu of 0.999 hectare of affected forest land order the sanctioned project of Stone Quarry Lease of M/S. Ramiraja Sarkar Stages Lalitpur of the above mentioned Non Forest Land of 0.999 hectare transferred of muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 4 A/19 (4)/08-09 Dated 30-06-2009 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No 4 A/19 (4)/08-09 Dated 30-06-2009 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals: - There are not rights of individuals

(B) Rights of Communities: - There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-75/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23° 21' 42.467" से 23° 21' 43.631" उत्तर अक्षांश तथा 81° 34' 55.227" से 81° 35' 57.973" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - शहडोल तहसील - जैतपुर
वनमण्डल - दक्षिण वनमण्डल शहडोल वन परिक्षेत्र - जैतपुर

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	रमना बदौडी (अ)	बदौडी	राजस्व पड़त भूमि	683/2 681 682 685/2 692/2 693/1 694 695 696 706 707 708/2 715 716 717 718 719 722/2 723/1 724 725/1 726/1 735 736/1 737/1 738/1	4.269 6.638 4.201 1.619 0.699 1.214 10.449 14.753 4.290 7.705 5.508 3.441 16.131 3.921 7.332 3.553 3.300 1.855 3.300 12.233 8.346 21.850 3.668 3.790 10.975 5.590	उत्तर:- आरक्षित कक्ष क्र. 864 (पुराना 44) का मुनारा क्र.-45 से प्रस्तावित वन खण्ड के 45/40 तक की कृत्रिम वन सीमा तक। पूर्व:- प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्र 45/40 से 45/25 तक की आरक्षित वन कक्ष क्र. 861 (पुराना 46) की वन सीमा तक। दक्षिण:- प्रस्तावित वन खण्ड मुनारा क्र 45/25 से 45/12 तक की आरक्षित वन कक्ष क्र. 863 (पुराना 45) की वन सीमा तक। पश्चिम:- प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्र 45/12 से 45 तक की आरक्षित वन कक्ष क्र. 864 (पुराना 44) की वन सीमा तक।
		योग		170.630		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-84/83-FRY(Cons) दिनांक 25.09.1984 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना बिरसिंहपुर पाली की स्वीकृत परियोजना 596.750 हेक्टेयर में प्रभावित 246.893 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 246.893 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 170.630 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शहडोल के आदेश क्रमांक 2-अ/19(3)/90-91 दिनांक 12.10.1990 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जैतपुर जिला शहडोल के प्रतिवेदन क्रमांक निल दिनांक निल द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार - कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार - कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-75-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-75-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No F-25-75/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 21' 42.467" to 23° 21' 43.631" North Latitude 81° 34' 55.227" to 81° 35' 57.973" East Longitude.

SCHEDULE

District - Shahdol Tehsil - Jaitpur
Forest Division - South Shahdol Division Forest Range - Jaitpur

S.N	Name of Proposed Forest Block	Detail fo Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ramna Badhodi-A	Badhodi	Revenue waste land	683/2 681 682 685/2 692/2 693/1 694 695 696 706 707 708/2 715 716 717 718 719 722/2 723/1 724 725/1 726/1 735 736/1 737/1 738/1	4.269 6.638 4.201 1.619 0.699 1.214 10.449 14.753 4.290 7.705 5.508 3.441 16.131 3.921 7.332 3.553 3.300 1.855 3.300 12.233 8.346 21.850 3.668 3.790 10.975 5.590	North- Reserve Forest compartment No. 864 (Old Compartment no. 44) Artificial Forest boundary pillar No. 45 to block no. 45/40. East - Artificial Forest boundary pillar No. 45/40 to 45/25 Reserve Forest compartment No. 861 (Old 46) South- Artificial Forest boundary pillar No. 45/25 to 45/12 Artificial Forest boundary compartment No. 863 (Old 45) West - Artificial Forest boundary pillar No. 45/12 to 45 Artificial Forest boundary compartment No. 864 (Old 44) Forest Boundary
Grand Total					170.630	

(A) Reason for publication of Notification :-

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-84/83-FRY (Cons) dated 25.09.1984 and in lieu of Sanjay Gandhi Thermal Power Birsinghpur pali hectare of affected forest land under the sanctioned project of 596.750 of 246.893 the above mentioned Non Forest Land of 170.630 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 2-A/19(3)/90-91 date 12-10-1990 of the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the land as per report No. Nil dated Nil of are as under.

- (1) Rights of individuals :- There is not individual community.
(2) Rights of Communities :- There is not individual community.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-75/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23° 22' 30.477" से 23° 22' 53.673" उत्तर अक्षांश तथा 81° 36' 18.903" से 81° 36' 35.565" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - शहडोल तहसील - जैतपुर
वनमण्डल - दक्षिण वनमण्डल शहडोल वन परिक्षेत्र - जैतपुर

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	रमना बदौडी (ब)	बदौडी	राजस्व पड़त भूमि	658 659	10.707 6.748	उत्तर:- प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 78/1 से 84/7 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 84/7 से 91/14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 91/14 से 72/15 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 72/15 से 78/1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग					17.455	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-84/83-FRY(Cons) दिनांक 25.09.1984 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना बिरसिंहपुर पाली की स्वीकृत परियोजना 596.750 हेक्टेयर में प्रभावित 246.893 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 246.893 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 17.455 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शहडोल के आदेश क्रमांक 2-अ/19(3)/90-91 दिनांक 12.10.1990 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जैतपुर जिला शहडोल के प्रतिवेदन क्रमांक निल दिनांक निल द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार - कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार - कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-75-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-75-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No F-25-75/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 22' 30.477" to 23° 22' 53.673" North Latitude and 81° 36' 18.903" to 81° 36' 35.565" East Longitude.

SCHEDULE

District - Shahdol Tehsil - Jaitpur
Forest Division - South Shahdol Division Forest Range - Jaitpur

S.N	Name of Proposed Forest Block	Detail fo Land Incluted				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ramna Badhodi-B	Badhodi	Revenue waste land	658 659	10.707 6.748	North- Artificial Forest boundary pillar No. 78/1 to 84/7. East - Artificial Forest boundary pillar No. 84/7 to 91/14. South- Artificial Forest boundary pillar No. 91/14 to 72/15. West - Artificial Forest boundary pillar No. 72/15 to 78/1.
Grand Total					17.455	

(A) Reason for publication of Notification :-

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-84/83-FRY (Cons) dated 25.09.1984 and in lieu of Sanjay Gandhi Thermal Power Birsinghpur pali hectare of affected forest land under the sanctioned project of 596.750 of 246.893 the above mentioned Non Forest Land of 17.455 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest. Department by order No. 2-A/19(3)/90-91 date 12-10-1990 of the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the land as per report No. Nil dated Nil of are as under.

(1) **Rights of individuals :-** There is not individual community.

(2) **Rights of Communities :-** There is not individual community.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 25-89/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त -शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर सम्बोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड पपरा से N 24° 19' 25.5" से N 24° 20' 7.5" तक उत्तर अक्षांश तथा E 81° 12' 46.0" से E 81° 13' 30.1" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - सतना
वनमंडल -सतना

तहसील - अमरपाटन
वन परिक्षेत्र- मुकुन्दपुर

क.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वन खंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
	पपरा	पपरा	राजस्व गैर वन भूमि	374/2	36.571	उत्तर - वनकक्ष क्रमांक (RF) 729 के मुनारा क्रमांक 67 से 97 तक की प्रस्तावित संरक्षित वन की संयुक्त वन सीमा।
				376/2	11.040	पूर्व- वनकक्ष क्रमांक (RF) 729 के मुनारा क्रमांक 97 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				377/2	0.296	दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से (RF) 730 के मुनारा क्रमांक 77 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				378/2	11.571	पश्चिम - वनकक्ष क्रमांक (RF) 730 के मुनारा क्रमांक 77 से 67 तक की संयुक्त वन सीमा।
				379/2	0.198	
				380/2	12.884	
				381/2	2.437	
					योग	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के उचेहरा-नागौद-सिंहपुर-कलिंजर मार्ग रकवा 38.397 हेक्टेयर आदेश क्रमांक दिनांक 6-MPC019/2013-BHO/304 Date 18-02-2014 एवं सतना-चित्रकूट मार्ग रकवा 36.600 हेक्टेयर आदेश क्रमांक 6-MPC 057/2013-BHO/597 Date 07-03-2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार एम0पी0आर0डी0सी0 की स्वीकृत परियोजना सतना-चित्रकूट राज्य मार्ग क्रमांक 11 एवं उचेहरा-नागौद-सिंहपुर-कलिंजर राज्य मार्ग क्रमांक 56 का सुदृढीकरण उन्नयन में प्रभावित 74.997 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 74.997 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 74.997 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सतना के आदेश क्रमांक 07अ 19(III)/2014-15 दिनांक 19.02.2015 एवं प्रकरण क्रमांक/07अ19 / (III)/14-15 संशोधित आदेश दिनांक 21.04.2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - बी0ओ0टी0 योजना के तहत सतना-चित्रकूट राजमार्ग क्रमांक 11 एवं उचेहरा-नागौद-सिंहपुर-कलिंगर राजमार्ग क्रमांक 56 का सुदृढीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिए।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरपाटन (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 113 दिनांक 30.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. व्यक्तिगत अधिकार- नहीं।
2. सामुदायिक अधिकार:- नहीं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-89-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-89-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No F-25&89/2016/10-3 :: in exercise of the Powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to declare the Provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government form time to time this forest block Papra lies between N 24⁰ 19' 25.5" to N 24⁰ 20' 7.5" to North Latitude and E 81⁰ 12' 46.0" to E 81⁰ 13' 30.1" East longitude .

SCHEDULE

District - Satna

Tehsil - Amarpatan

Forest Division- Satna

Forest Range- Mukundpur

No	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Details of Land Included			Boundaries
			Present head of land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	Papra	Papra	Non Forest Revenue Land	374/2	36.571	North- Proposed Joint Forest Boundary RF No. 729 of Pillar No. 67 to 97. East- Proposed Artificial Forest Boundary RF No. 729 of Pillar No. 97 to Proposed Block Pillar No. 09. South- Proposed Artificial Forest Boundary RF No. 730 of Pillar No. 09 to Pillar No. 77. West- Proposed Joint Forest Boundary RF No. 730 of Pillar No. 77 to 67.
				376/2	11.040	
				377/2	0.296	
				378/2	11.571	
				379/2	0.198	
				380/2	12.884	
				381/2	2.437	
		Total		74.997		

(A) Reason for Publication of Notification

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Govt. of India's Uchehara- Nogod- Singhpur - Kalinjar State Road SH-56 Area 38.397 Ha. order No 6-MPC 019/2013-BHO/304 Date 18-02-2014 and Satna- Chitrakoot State Road SH- 11 area 36.600 Ha. order No 6-MPC 057/2013-BHO/597 Date 107-03-2014 and in lieu of 74.997 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Uchehara- Nogod- Singhpur - Kalinjar State Road and Satna- Chitrakoot State Road (Name of Project) of MPRDC (Name of user Department /Agence/person) the above mentioned Non forest Land of 74.997 Hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt forest Department by order No 07A 19 (III)/2014-15 date 19-02-2015 and order no 07A19(III)/14-15 New order Date 21-04-2016 of Collector Satna for the Purpose of compensatory afforestation .

2-Details of other Reason - Upgradation and strengthening of Uchehara- Nogod- Singhpur - Kalinjar State Road SH-56 and Satna- Chitrakoot State Road SH- 11 .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No 113 dated--30/01/2016 of Tehsildar Amarpatan (Designation of competent Revenue officer) are as under .

- 1- Individual Rights - no
- 2- Community Rights- no

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-109/2016/10-3 :: चूँकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग (1) दिनांक 26.7.16... में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचनायें क्रमांक 11587-7491-दस, तारीख 02 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.1966 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था,

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं । अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N- 25°23'07.85" से N- 25°42'44.75" उत्तर अक्षांश तथा E- 76°42'36.40" से E- 76°43'10.28" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

--: अनुसूची :-

जिला - श्योपुर
तहसील - बड़ौदा

वनमण्डल - श्योपुर
रैंज - बड़ौदा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्ताविक)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	प्रेमपुरा	80	बागल्दा	प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	01 29 68 69 70 73	07	-	11587-7491-दस, तारीख 02 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.1966	0.888 2.205 6.291 7.984 7.346 0.533	उत्तर- स्तम्भ क्रमांक 11 से 14 वनखण्ड की सीमा रेखा । पूर्व- स्तम्भ क्रमांक 14 से 1 तक रक्षित वनखण्ड मूझरी की सीमा रेखा । दक्षिण- स्तम्भ क्र. 1 बिल्कुल दक्षिण में है

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्ताविक)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्षा क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						74				14.724	पश्चिम- स्तम्भ क्रमांक 1 से 11 तक
						80				3.658	प्रेमपुरा ग्राम भूमि से गुजरती हुई खण्ड की सीमा रेखा ।
						101				12.645	
						09				56.274	
Total :-											
02	प्रेमपुरा	80	बागल्दा	बागल्दा	प्रेमपुरा	108	07	-	11587-7491-दस, तारीख 02 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.1966	1.359	---
						413				8.569	
						416				36.784	
						417				3.762	
						4				50.474	
G. Total :-											
						13				106.748	

वनखण्डों का योग :-

106.748 हेक्टेयर
(एक सौ छः दसमलव सात, चार आठ)

संक्षिप्त विवरण :- उपरोक्त वन मूल्यावान पैदावार से आच्छादित है।
वनरक्षण के कारण :- राज्य तथा जन के हित में हमेशा के लिये जो वनों के रक्षण करने तथा उनका व्यवस्थित प्रबंध किया जाना प्रारम्भ करने के लिये यह निश्चित किया गया है, कि उन्हें आरक्षित वनों के रूप में रखा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-109-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-109-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25/109/2016/10-3 :: Whereas by this department Notification No 11587-7491-X, dated 02.11.1966 Published in the Madhya Pradesh Gazette" in Part (1) dated 04.02.1966 the State Government had, under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-25°23'07.85" to N-25°42'44.75" North Latitude and E- 76°43'36.40" to E- 76°43'10.28" East Longitude.

-:: SCHEDULE ::-

S.No	District - Sheopur				Forest Division - Sheopur						
	RF Block (Proposed)	Patwari Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Prempura	80	Prempura	Prempura	Prempura	01	07	-	11587-7491-X, dated 02.11.1966	0.888	NORTH :- Boundary line of Block from pillar No. 11 to 14.
						29			Published	2.205	EAST :- Boundary Line of R.F. Block Mujhari from pillar No. 14 to 1
						68			dated	6.291	SOUTH :- Pillar No. 1 is right in south.
						69			04.02.1966	7.984	
						70				7.346	
						73				0.533	
						74				14.724	

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						80				3.658	WEST :- Boundary line of Block from prempura village pillar no. 1 to 11
						101				12.645	
						09				56.274	
	Total :-										
02	Prempura	80	Prempura	Bagalda	Prempura	108 413 416 417	07	-	11587-7491-X, dated 02.11.1966 Published dated 04.02.1966	1.359 8.569 36.784 3.762	
										50.474	
	Total :-										
	G. Total :-										
						4				106.748	

Total Area of Blocks :- 106.748 Hectares
(One Hundred Six Decimal Seven Four Eight)

Brief Description :- The above said area is undulating Valuable Product.

Reasons of Reservation :- For preserving the forests till perpetually in the best interests of the State and the people for introducing systematic management to constitute them as reserved forests.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-109/2016/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग (1) दिनांक 26.07.16 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचनायें क्रमांक 11587-7491-दस, दिनांक 02 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 4 फरवरी 1966 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था,

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं । अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N- 25⁰22'51.87" से N- 25⁰23'54.07" उत्तर अक्षांश तथा E- 76⁰36'09.45" से E- 76⁰37'27.10" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

--: अनुसूची :-

जिला - श्योपुर
तहसील - बडौदा

वनमण्डल - श्योपुर
रैंज - बडौदा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	हांडी	81	प्यारीपुरा	हांडी	हांडी	104 105 106 107 108 109	पी. 01	-	11587-7491-दस, दिनांक 02 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 4 फरवरी 1966	9.541 0.105 0.042 0.094 0.031 0.105	उत्तर- स्तम्भ क्रमांक डी से 23 होकर 8 तक । हांडी ग्राम की भूमि से जाती हुई खण्ड की सीमा रेखा । पूर्व- स्तम्भ क्रमांक 8 से 31 तक मकड़ाबदा ग्राम की भूमि से गुजरती हुई खण्ड की सीमा रेखा ।

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						110				0.021	दक्षिण- स्तम्भ क्रमांक 31 से 25 तक खण्ड की सीमा रेखा ।
						111				0.042	
						112				0.031	पश्चिम- स्तम्भ क्रमांक 25 से 24 होकर
						113				0.094	डी तक पार्वती नदी से विभाजन सीमा ।
						114				0.031	
						115				0.063	
						116				0.763	
						117				0.010	
						118				14.546	
						119				0.031	
						120				0.105	
						121				0.010	
						122				0.105	
						123				8.381	
						124				0.031	
						125				0.021	
						126				0.031	
						127				0.031	
						128				0.136	
						130				4.034	
						131				1.275	
						132				1.348	
						133				0.679	
						134				8.257	
						135				10.032	
						152				1.537	
						154				0.052	
						42				4.755	
						43				0.157	
						49				3.031	
						103				11.463	

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	सरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	सरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि सरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total :-						42				160.682	
02	हांडी	76	प्यारीपुरा	बड़ोदिया बिदी	हांडी	113	पी-01	-	11587-7491-दस, दिनांक 02.11.1965	0.836	---
						115			प्रकाशन दिनांक	8.883	
						116			4 फरवरी 1966	3.867	
						117				0.492	
						114				0.157	
Total :-						5				14.235	
03	-	78		मकबावदा कला	हांडी	-				-	
Total :-						-				-	
G. Total :-						47				174.917	

वनखण्डों का योग :-

174.917 हेक्टेयर
(एक सौ चौहत्तर दसमलव नौ एक सात)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-109-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-109-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-109/2016/10-3 :: Whereas by this department Notification No 11587-7491-X, dated 02.11.1965 Published in the Madhya Pradesh Gazette" in Part (1) dated 04.02.1966 the State Government had, under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-25°22'51.87" to N-25°23'54.07" North Latitude and E-76°36'09.45" to E-76°37'27.10" East Longitude.

--: SCHEDULE --:

District - Sheopur - Sheopur
Tehsil - Baroda - Baroda

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Forest Division - Sheopur - Baroda	
										Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Handi	81	Pyanipura	Handi	Handi	104 105 106 107 108 109 110	P-01	-	11587-7491-X, dated 02.11.1965 Published dated 04.02.1966	9.541 0.105 0.042 0.094 0.031 0.105 0.021	NORTH :- Demarcation Line of Forest block is from pillar no. D to 8 through pillar no. 23 with boundary line of village handi. EAST :- Boundary from line of village Makdawda pillar no. 8 to 31.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						111				0.042	SOUTH :- Boundary line of block from pillar no. 31 to 25. WEST :- Demarcation line from river Parwati pillar no. 25 to D through pillar no. 25.
						112				0.031	
						113				0.094	
						114				0.031	
						115				0.063	
						116				0.763	
						117				0.010	
						118				14.546	
						119				0.031	
						120				0.105	
						121				0.010	
						122				0.105	
						123				8.381	
						124				0.031	
						125				0.021	
						126				0.031	
						127				0.031	
						128				0.136	
						130				4.034	
						131				1.275	
						132				1.348	
						133				0.679	
						134				8.257	
						135				10.032	
						152				1.537	
						154				0.052	
						42				4.755	
						43				0.157	
						49				3.031	
						103				11.463	
						136				12.770	

		BLOCKS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Handi	76						137				39.198	
								141				2.195	
								129				16.166	
								155				09.332	
	Total :-							42				160.682	
03													
	Total :-							5				14.235	
G. Total :-												174.917	

Total Area of Blocks :- **174.917 Hectares**
 (One Hundred Seventy Four Decimal Nine One Seven)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-109/2016/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग (1) दिनांक 26/07/16..... में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचनार्थ क्रमांक 4039-3220-दस, दिनांक 23.07.1969 प्रकाशन दिनांक 21.11.1969 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था,

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N- 25⁰54'10.27" से N- 25⁰55'21.53" उत्तर अक्षांश तथा E- 76⁰52'32.11" से E- 76⁰51'04.15" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

---: अनुसूची ---:

जिला - श्योपुर
तहसील - श्योपुर

वनमण्डल - श्योपुर
रैंज - बुढेरा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद्	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	खोजीपुरा पूर्व	02	खोजीपुरा	हांसिलपुर	खोजीपुरा पूर्व	500 501	पी. 533	-	4039-3220-दस, दिनांक 23 जुलाई 1969 प्रकाशन दिनांक 21.11.1969	26.752 19.750	उत्तर- सीमा रेखा ग्राम हांसिलपुर मुनारा क्रमांक 15 से 1 व 1 से 7 पूर्व- सीमा रेखा ग्राम हांसिलपुर से मुनारा क्रमांक 7 से 12 तक । नाला एवं नदी घनपणा स्थिति है।

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-109/2016/10-3 :: Whereas by this department Notification No 4039-3220-X, dated 23.07.1969 Published in the Madhya Pradesh Gazette" in Part (1) Dated 21.11.1969 the State Government had, under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-25°54'10.27" to N-25°55'21.53" North Latitude and E-76°52'32.11" to E-76°51'04.15" East Longitude.

--: SCHEDULE --:

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	District - Sheopur		Forest Division - Sheopur		If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries	
				Tehsil	PF Block	Forest Range	Budera				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Khajipura East	02	Khajipura	Hasalpur	Khajipura East	500 501 502 503	P-533	-	4039-3220-X date 23.07.1969 Publication date 21.11.1969	26.752 19.750 10.450 13.794	NORTH :- Boundary line of Village Hasilpur pillar no. 15 to 1 and 1 to 7. EAST :- Demarcation line of Village Hasilpur pillar No. 7 to 12 (Up to Nala Ghanpapa River)

S.No.	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						504				14.630	SOUTH :- Demarcation line of Village Hasilpur pillar No. 12 to 13 to 14. WEST :- Reserve Forest Bagdari.
						505				13.794	
						506				12.070	
						507				0.575	
						508				2.508	
						510				2.508	
						517				2.299	
						534				4.389	
						577				0.105	
						585				3.762	
						586				9.269	
						587				1.254	
						589				7.733	
						606				5.184	
						607				14.525	
						608				41.591	
						20				206.942	
						20				206.942	
											206.942 Hectares
											(Two Hundred Six Decimal Nine Four Two)

Total Area of Blocks :-

Brief Description :- The above said area is undulating Valuable Product.

Reasons of Reservation :- For preserving the forests till perpetually in the best interests of the State and the people for introducing systematic management to constitute them as reserved forests.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-109/2016/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग (1) में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचनार्थ क्रमांक 11587-7491-दस, दिनांक 02 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.1966 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था, और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N-25⁰52'25.36" से N-25⁰54'49.78" उत्तर अक्षांश तथा E-76⁰48'30.90" से E-76⁰50'44.28" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

--:: अनुसूची ::--

वनमण्डल - - श्योपुर
रैंज - - बुढेरा

जिला - - श्योपुर
तहसील - - श्योपुर

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	सरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	सरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि सरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	बगदिया	03	बगदिया	नसीरपुरा	बगदिया	16 17 41 42 43 44 45 46 48 49	532	-	11587-7491-दस दिनांक 02.11.1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.1966	4.389 0.523 2.508 0.136 13.533 3.950 11.819 11.788 1.202 1.515	उत्तर- ग्राम बगदिया की भूमि से गुजरती हुई स्तम्भ क्रमांक 16 से 13 तक वन खण्ड की सीमा रेखा। पूर्व- रेलवे लाइन के साथ-साथ होती हुई स्तम्भ क्रमांक 13 से 1 तक हीरापुर रक्षित वनखण्ड की सीमा रेखा। दक्षिण- स्तम्भ क्रमांक 1 से 26 तक वन खण्ड की सीमा रेखा। पश्चिम- ग्राम बगदिया की भूमि से गुजरती हुई स्तम्भ क्रमांक 26 से 16 तक वन खण्ड की सीमा रेखा।
Total :-										51.363	

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-109/2016/10-3 :: Whereas by this department Notification No 11587-7491-X, dated 02.11.1965 Published in the Madhya Pradesh Gazette" in Part (1) dated 04.02.1966 the State Government had, under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N- 25°52'25.36" to N- 25°54'49.78" North Latitude and E- 76°48'30.90" to E- 76°50'44.28" East Longitude.

--: SCHEDULE :-

**District - Sheopur
Tehsil - Sheopur**

**Forest Division - Sheopur
Forest Range - Budera**

S.No	RF Block (Proposed)	Patwari Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Bagadiya	03	Bagadiya	Nasirpura	Bagadiya	16 17 41 42 43 44 45 46 48 49	532	-	11587-7491-X Date 02.11.1965 Published date 04.02.1966	4.389 0.523 2.508 0.136 13.533 3.950 11.819 11.788 1.202 1.515 51.363	NORTH :- Demarcation line of the Block from pillar No. 16 to 13 passing through the land of village of Bagadiya. EAST :- Demarcation line of the Reserved forest block Herapura from pillar No. 13 to 1 running simillarly a part with the railway line. SOUTH :- Demarcation line of the block from pillar no. 1 to 26 WEST :- Demarcation line of the block from pillar no. 26 to 16 passing through the land of village Bagadiya.
Total :-						10					

S.No	RF Block (Proposed)	Patwari Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Bagadiya	02	Bagadiya	Bagadiya	Bagadiya	510	532	-	11587-7491-X	0.063	
						511			Date	0.031	
						512			02.11.1665	0.157	
						513			Published date	0.366	
						514			04.02.1966	66.702	
						515				0.105	
						519				2.853	
						520				141.045	
						521				81.083	
						525				8.497	
						522				90.152	
						369				0.105	
						394				0.449	
						509				10.032	
						516				37.621	
						517				0.240	
						518				5.017	
						243/1				41.800	
						242/1				5.226	
						523/1				47.025	
						524				4.807	
						Total :-				543.376	
						G. Total :-				594.739	

Total Area of Blocks :-
594.739 Hectares
(Five Hundred Ninty four Decimal Seven Three Nine)

Brief Description :- The above said area is undulating Valuable Product.

Reasons of Reservation :- For preserving the forests till perpetually in the best interests of the State and the people for introducing systematic management to constitute them as reserved forests.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-109/2016/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग (1) दिनांक 26.07.16..... में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचनार्थ क्रमांक 13503-9589-दस, तारीख 29 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.1966 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था,

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N- 25⁰34'43.69" से N- 25⁰36'13.80" उत्तर अक्षांश तथा E- 76⁰44'08.97" से E- 76⁰47'15.21" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

—: अनुसूची —:

जिला - श्योपुर वनमण्डल - श्योपुर
तहसील - श्योपुर रैंज - श्योपुर

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हत्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद.	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	शाहपुरा	34	फतेहपुर	शाहपुरा	शाहपुरा	81 83	पी. 96, पी.97	-	13503-9589-दस, दिनांक 29 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.66	1.150 14.818	उत्तर- सीमा रेखा रक्षित वन ब्लॉक से मुनारा नम्बर 15 से 32 तक और ग्राम मयापुर, कैलौर व ककरधा। पूर्व- सीमा रेखा वन ब्लॉक से मुनारा नम्बर 32 से 38 तक।

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						84				3.166	दक्षिण- सीमा रेखा वन ब्लॉक से मुनारा नम्बर 38 से 51 और ए से ओ तक और ग्राम कैलौर, नीमोदा, रतौदन और फतेहपुर।
						85				3.856	पश्चिम- ब्लॉक की सीमा रेखा मुनारा नम्बर ओ से पी, पी से एक, एक से 12, 12 से 15 सीप नदी तक जाती है। ग्राम चक, फतेहपुर, साहपुरा और मयापुर।
						86				0.376	
						87				0.596	
						88				1.568	
						89				0.105	
						101				6.354	
						102				7.546	
						103				4.577	
						104				5.017	
						105				7.524	
						106				10.502	
						107				10.575	
						108				0.355	
						109				5.080	
						110				13.982	
						111				0.272	
						112				26.763	
						113				0.523	
						114				0.512	
						115				3.337	
						116				0.439	
						117				10.784	
						119				13.073	
						1				0.773	
						2				2.508	
						4				10.752	
						5				3.407	
						6				0.178	
						99				8.319	
						90				0.334	

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	सरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	सरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मर	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						48				0.523	
						49				0.052	
						50				9.384	
						80				0.115	
						79				0.784	
						82				1.160	
						90				9.154	
						100				7.943	
						46				0.167	
						118				38.489	
						120				2.351	
						44				249.243	
Total :-											
02	शाहपुरा	34	फतेहपुर	मयापुर	शाहपुरा	222	पी. 96, पी. 97	-	13503-9589-दस, दिनांक 29 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.66	1.097	---
						223				19.020	
						224				26.962	
						225				0.439	
						234				1.003	
						235				19.521	
						230				3.292	
						219				1.986	
						220				0.052	
						221				0.439	
						226				26.993	
						227				0.470	
						231				1.254	
						228				0.209	
						14				102.737	
Total :-											

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	शाहपुरा	58	फतेहपुर	ढोढपुर	शाहपुरा	392 385 386 388 391 393 394	पी. 96, पी. 97	-	13503-9589-दस, दिनांक 29 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.66	0.627 0.188 2.979 5.069 4.546 12.613 1.118 27.140	"--"
Total :-						07					
04	शाहपुरा		फतेहपुर	नीमोदा	शाहपुरा	1 30 3 4 7 8				0.470 1.359 1.359 2.404 0.836 0.084 6.512	"--"
Total :-						6					
05	शाहपुरा	34	फतेहपुर	चक, फतेहपुर	शाहपुरा	502 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583	पी. 96, पी. 97	-	13503-9589-दस, दिनांक 29 नवम्बर 1965 प्रकाशन दिनांक 04.02.66	0.358 10.032 19.133 20.879 23.701 12.906 10.032 10.032 11.861 14.296 13.376 13.376 12.007	"--"

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-109/2016/10-3 :: Whereas by this department Notification No 13503-9589-X, dated 29.11.1965 Published in the Madhya Pradesh Gazette" in Part (1) Dated 04.02.1966 the State Government had, under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-25°34'43.69" to N-25°36'13.80" North Latitude and E-76°44'08.97" to E-76°47'15.21" East Longitude.

--:: SCHEDULE ::--

District - Sheopur
Tehsil - Sheopur

Forest Division - Sheopur
Forest Range - Sheopur

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compa rtment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Shahapura	34	Phateh apur	Shahapura	Shahapura	81	P-96	-	13503-9589-X, dated 29.11.1965	1.150	NORTH :- Demarcation line of the R.F. Block from pillar no. 15 to 32 and village Mayapur, Calor & Kakardha.
						83	P-97		Publication Date	14.818	EAST :- Demarcation line of the Block from pillar no. 32 to 38
						84			04.02.1966	3.166	SOUTH :- Demarcation line of the block from pillar no. 38 to 51 and A to O & Village Calor, Nirmoda, Ratodhan, Phatehapur.
						85				3.856	
						86				0.376	
						87				0.596	
						88				1.568	
						89				0.105	
						101				6.354	

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						102				7.546	WEST :- Demarcation line of the block from pillar no. O to P, P to 1, 1 to 12 and 12 to 15. running with the sheep river and village Phatehapur, Chak, Shahapura & Mayapur.
						103				4.577	
						104				5.017	
						105				7.524	
						106				10.502	
						107				10.575	
						108				0.355	
						109				5.080	
						110				13.982	
						111				0.272	
						112				26.763	
						113				0.523	
						114				0.512	
						115				3.337	
						116				0.439	
						117				10.784	
						119				13.073	
						1				0.773	
						2				2.508	
						4				10.752	
						5				3.407	
						6				0.178	
						99				8.319	
						90				0.334	
						48				0.523	
						49				0.052	
						50				9.384	
						80				0.115	
						79				0.784	
						82				1.160	
						90				9.154	

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						100				7.943	
						46				0.167	
						118				38.489	
						120				2.351	
						44				249.243	
Total :-											
02	Shahapura	34	Phateh apur	Mayapur	Shahapura	222	P-96		13503-9589-X, dated 29.11.1965	1.097	---
						223	P-97		Publication Date 04.02.1966	19.020	
						224				26.962	
						225				0.439	
						234				1.003	
						235				19.521	
						230				3.292	
						219				1.986	
						220				0.052	
						221				0.439	
						226				26.993	
						227				0.470	
						231				1.254	
						228				0.209	
						14				102.737	
Total :-											
03	Shahapura	58	Phateh apur	Dhodapur	Shahapura	392	P-96		13503-9589-X, dated 29.11.1965	0.627	---
						385	P-97		Publication Date 04.02.1966	0.188	
						386				2.979	
						388				5.069	
						391				4.546	
						395				12.613	
						394				1.118	
						07				27.140	
Total :-											

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No				Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Shahapura		Phateh apur	Nimoda	Shahapura	1 30 3 4 7 8	P-96 P-97	-	13503-9589-X, dated 29.11.1965 Publication Date 04.02.1966	0.470 1.359 1.359 2.404 0.836 0.084	---"
Total :-											
05	Shahapura	34	Phateh apur	Shahapura	Shahapura	6 502 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 597	P-96 P-97	-	13503-9589-X, dated 29.11.1965 Publication Date 04.02.1966	6.512 0.358 10.032 19.133 20.879 23.701 12.906 10.032 10.032 11.861 14.296 13.376 13.376 12.007 12.655 10.283 5.362 5.853 9.854 4.222 11.380 13.376 13.376 5.080 6.688	---"

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						598				6.688	
						599				13.376	
						600				16.720	
						569				7.107	
						571				2.456	
						601				9.614	
						602				10.032	
						603				2.926	
						604				0.152	
						596				12.408	
Total :-						34				351.597	
G. Total :-						105				737.229	

Total Area of Blocks :- 737.229 Hectares
(Seven Hundred Tharty Seven Decimal Two Two Nine)

Brief Description :- The above said area is undulating Valuable Product.

Reasons of Reservation :- For preserving the forests till perpetually in the best interests of the State and the people for introducing systematc management to constitute them as reserved forests.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-109/2016/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग (1) दिनांक 26.07.16..... में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचनायें क्रमांक 4039-3220-दस, दिनांक 23 जुलाई 1969 प्रकाशन दिनांक 21.11.1969 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था,

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटायें जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं । अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N- 25°53'07.78" से N- 25°54'08.45" उत्तर अक्षांश तथा E- 76°43'46.93" से E- 76°44'46.41" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

--: अनुसूची :-

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनमण्डल		
											रैंज	सीमाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	रामेश्वर	10	रामेश्वर	फतेहपुर	रामेश्वर	129/1 129/5 129/6 129/7 129/8 129/9 129/10	पी. 534	-	4039-3220-दस, दिनांक 23 जुलाई 1969 प्रकाशन दिनांक 21.11.1969	0.575 3.031 1.254 0.387 3.762 0.470 0.063	उत्तर- सीमा रेखा ग्राम फतेहपुर मुनारा क्रमांक 50 से 63 तक । पूर्व- सीप नदी स्थित है । दक्षिण- सीमा रेखा ग्राम फतेहपुर मुनारा क्रमांक 1 से 25 व सीमा रेखा ग्राम मानपुर मुनारा क्रमांक 25 से 28 तक ।	रामेश्वर - बुढेरा	सीमाएं

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्ताविक)	पटवारी हल्ला क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						129/11				0.125	पश्चिम- सीमा रेखा ग्राम फतेहपुर मुनारा
						129/12				1.766	क्रमांक 28 से 50 तक ।
						129/2				0.125	
						129/3				0.418	
						129/4				0.178	
						130/2				0.052	
						130/1				0.993	
						131				0.073	
						132				0.157	
						133/1				0.470	
						133/2				0.125	
						133/3				0.178	
						134/1				0.293	
						135				0.073	
						134/2				0.073	
						136				0.188	
						139/1				2.080	
						139/2				0.732	
						139/3				0.052	
						140				0.021	
						141/2				0.250	
						155				0.240	
						156/1				0.230	
						156/2				0.941	
						157/1				0.554	
						157/2				0.052	
						161/1				0.240	
						161/3				0.031	
						161/4				0.251	
						161/5				0.888	
						162/1				0.303	

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						162/2				0.230	
						284/1				3.825	
						284/2				0.209	
						284/3				0.261	
						285/1				3.501	
						285/3				0.021	
						288/1				3.930	
						290/1				5.069	
						291/1				1.766	
						292/1				14.839	
						292/3				0.084	
						295/2				5.132	
						296/4				0.010	
						293				5.236	
						294				3.752	
						295/1				5.958	
						295/3				0.125	
						295/4				0.888	
						296/5				0.575	
						295/5				0.021	
						295/6				1.672	
						296/1				13.752	
						296/2				1.097	
						296/3				0.042	
						296/6				0.679	
						296/7				0.397	
						296/8				0.209	
						297				0.366	
						299/3				0.105	
						299/4				0.784	
						300				1.672	

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						301				1.307	
						302				15.952	
						303/1				15.509	
						303/2				00.941	
						303/3				00.031	
						304				8.330	
						305				0.637	
						403				0.732	
						409/2				1.254	
						410				10.189	
						411				10.366	
						310/2				0.815	
						311				1.160	
						310/4				0.470	
						309/7				0.063	
						308				0.230	
						309/6				0.992	
						309/2				0.293	
						309/1				0.261	
						309/3				0.240	
						309/4				0.888	
						309/5				0.366	
						307				0.543	
						309/9				0.105	
						283				2.801	
						285/2				0.031	
						285/4				0.366	
						286				0.031	
						287				1.819	
						288/05				0.115	

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						288/06				0.042	
						288/8				1.463	
						290/3				0.627	
						291/2				0.314	
						Total :-				177.184	
02	रामेश्वर	10	रामेश्वर	मानपुर	रामेश्वर	11	पी-634	-	4039-3220-दस, दिनांक 23 जुलाई 1969 प्रकाशन दिनांक 21.11.1969	5.351	---
						Total :-				5.351	
						G. Total :-				182.535	

वनखण्डों का योग :-

182.535 हेक्टेयर
(एक सौ वयासी दसमलव पांच, तीन, पांच)

संक्षिप्त विवरण :- उपरोक्त वन मूल्यावान पैदावार से आच्छादित है।

वनरक्षण के कारण :- राज्य तथा जन के हित में हमेशा के लिये जो वनों के रक्षण करने तथा उनका व्यवस्थित प्रबंध किया जाना प्रारम्भ करने के लिये यह निश्चित किया गया है, कि उन्हें आरक्षित वनों के रूप में रखा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-109-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-109-2016-दस-3, दिनांक 26 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-109/2016/10-3 :: Whereas by this department Notification No 4039-3220-X, dated 23.07.1969 Published in the Madhya Pradesh Gazette" in Part (1) dated 21.11.1969 the State Government had, under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-25°53'07.78" to N-25°54'08.45" North Latitude and E-76°43'46.93" to E-76°44'46.41" East Longitude.

--: SCHEDULE :-

**District - Sheopur
Tehsil - Sheopur**

**Forest Division - Sheopur
Forest Range - Budera**

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Rameshwar	10	Rameshwar	Fatehpur	Rameshwar	129/1 129/5 129/6 129/7 129/8 129/9	P-534	-	4039-3220-X, dated 23.07.1969 Publication date 21.11.1969	0.575 3.031 1.254 0.387 3.762 0.470	NORTH :- Boundary line of Village Fatehpur from pillar No. 50 to 63. EAST :- Sheep River SOUTH :- Boundary line of Village fatehpur from pillar No. 1 to 25 and boundary line of village Manpur from pillar no. 25 to 28.

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						129/10				0.063	WEST :- Boundary line of village fatehpur from pillar No. 28 to 50
						129/11				0.125	
						129/12				1.766	
						129/2				0.125	
						129/3				0.418	
						129/4				0.178	
						130/2				0.052	
						130/1				0.993	
						131				0.073	
						132				0.157	
						133/1				0.470	
						133/2				0.125	
						133/3				0.178	
						134/1				0.293	
						135				0.073	
						134/2				0.073	
						136				0.188	
						139/1				2.080	
						139/2				0.732	
						139/3				0.052	
						140				0.021	
						141/2				0.250	
						155				0.240	
						156/1				0.230	
						156/2				0.941	
						157/1				0.554	
						157/2				0.052	
						161/1				0.240	
						161/3				0.031	
						161/4				0.251	
						161/5				0.888	

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						162/1				0.303	
						162/2				0.230	
						284/1				3.825	
						284/2				0.209	
						284/3				0.261	
						285/1				3.501	
						285/3				0.021	
						288/1				3.930	
						290/1				5.069	
						291/1				1.766	
						292/1				14.839	
						292/3				0.084	
						295/2				5.132	
						296/4				0.010	
						293				5.236	
						294				3.752	
						295/1				5.958	
						295/3				0.125	
						295/4				0.888	
						296/5				0.575	
						295/5				0.021	
						295/6				1.672	
						296/1				13.752	
						296/2				1.097	
						296/3				0.042	
						296/6				0.679	
						296/7				0.397	
						296/8				0.209	
						297				0.366	
						299/3				0.105	
						299/4				0.784	

Sr. No.	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						300				1.672	
						301				1.307	
						302				15.952	
						303/1				15.509	
						303/2				00.941	
						303/3				00.031	
						304				8.330	
						305				0.637	
						403				0.732	
						409/2				1.254	
						410				10.189	
						411				10.366	
						310/2				0.815	
						311				1.160	
						310/4				0.470	
						309/7				0.063	
						308				0.230	
						309/6				0.992	
						309/2				0.293	
						309/1				0.261	
						309/3				0.240	
						309/4				0.888	
						309/5				0.366	
						307				0.543	
						309/9				0.105	
						283				2.801	
						285/2				0.031	
						285/4				0.366	
						286				0.031	
						287				1.819	
						288/05				0.115	

S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						288/06				0.042	
						288/8				1.463	
						290/3				0.627	
						291/2				0.314	
						Total :-				177.184	
02	Rameshwar	10	Rameshwar	Manpur	Rameshwar	11	P-534	-	4039-3220-X, dated 23.07.1969 Publication date 21.11.1969	5.351	---
										5.351	
										182.535	

Total Area of Blocks :-

182.535 Hectares
(One Hundred Eighty Two Decimal Five Three Five)

Brief Description :- The above said area is undulating Valuable Product.

Reasons of Reservation :- For preserving the forests till perpetually in the best interests of the State and the people for introducing systematic management to constitute them as reserved forests.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-25-109/2016/10-3 :: चूँकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग (1) दिनांक 26.11.1969 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचनार्थ क्रमांक 4039-3220-दस दिनांक 23.07.1969 प्रकाशन दिनांक 21.11.1969 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N-25°47'25.90" से N-25°48'40.09" उत्तर अक्षांश तथा E-76°44'16.57" से E-76°45'31.28" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

—: अनुसूची :-

जिला - श्योपुर
तहसील - श्योपुर

वनमण्डल - श्योपुर
रेंज - श्योपुर

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	चक	12	चक	5	6	7	8	9	10	11	12
01	बमूलिया रामवाडी		चक	टेहला	चक	345	205,	-	4039-3220-दस दिनांक 23 जुलाई 1969 म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 21 नवम्बर 1969	0.523	उत्तर- ग्राम बमूलिया सीमा मुनारा क्रमांक 7 से 13 व 13 से 14 तक नाला
						346	206			5.122	पूर्व- आरक्षित वन श्योपुर से मुनारा क्रमांक 14 से 21 तक एवं 21 से 01 तक।
						350				1.296	दक्षिण- सीमा रेखा ग्राम बमूलिया से सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 6 व 6 से नाला
						347				4.849	पश्चिम- नाला सीमा मुनारा क्रमांक 07 तक।
						348				2.926	
						349				15.424	
Total :-										30.14	

क्र.	आरक्षित वनखण्ड (प्रस्तावित)	पटवारी हल्का क्रमांक	वन परिसर	ग्राम	संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	चक बमूलिया	12	चक बमूलिया रामवाडी	चक बमूलिया	चक बमूलिया	46 50 51 53 24 42 43 25 26 27 28 29 44 45 52 56 58 59	205, 206	-	4039-3220-रस दिनांक 23 जुलाई 1969 म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 21 नवम्बर 1969	2.289 4.128 0.481 0.178 3.658 0.794 41.978 2.957 1.421 10.638 0.867 0.596 0.794 0.564 2.780 0.899 1.244 0.439	---
Total :-											
03	चक बमूलिया	11	चक बमूलिया रामवाडी	मेवाड़ा	चक बमूलिया	1414 1416 1547 1548 1550 1551 1541 1549 1553 1410 1411	205, 206	-	4039-3220-रस दिनांक 23 जुलाई 1969 म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 21 नवम्बर 1969	11.704 08.121 08.664 0.084 0.815 0.261 2.121 1.400 0.052 1.484 6.395	---

Bhopal, the 26th July 2016

No. F-25-109/2016/10-3 :: Whereas by this department Notification No. 4039-3220-X dated 23.07.1969 Published in the Madhya Pradesh Gazette" in Part (I) dated 21.11.1969 the State Government had, under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N-25°47'25.90" to N-25°48'40.09" North Latitude and E-76°44'16.57" to E-76°45'31.28" East Longitude.

--: SCHEDULE --:

District - Sheopur		Forest Division - Sheopur		Forest Range - Sheopur		Boundaries					
S.No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Chak Bamuliya	12	Chak Bamuliya	Tehla	Chak Bamuliya	345 346 350 347 348 349	205, 206	-	4039-3220-X date 23 July 1969 Published date 21 November 1969	0.523 5.122 1.296 4.849 2.926 15.424	NORTH :- Boundary line of village Chak Bamuliya pillar No. 7 to 13 & 13 to 14 up to Nala. EAST :- Boundary line from Reserve Forest to pillar No. 14 to 21 and 21 to 1. SOUTH :- Boundary line from village Chak Bamuliya pillar No. 1 to 6 & pillar No. 6 to Nala WEST :- Boundary line nala to pillar no. 7.
Total :-						06				30.14	

No	RF Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Chak Bamuliya	12	Chak Bamuliya	Chak Bamuliya	Chak Bamuliya	46 50 51 53 24 42 43 25 26 27 28 29 44 45 52 56 58 59	205, 206	-	4039-3220-X date 23 July 1969 Published date 21 November 1969	2.289 4.128 0.481 0.178 3.658 0.794 41.978 2.957 1.421 10.638 0.867 0.596 0.794 0.564 2.780 0.899 1.244 0.439	---"
Total :-											
03	Chak Bamuliya	11	Chak Bamuliya	Mewada	Chak Bamuliya	1414 1416 1547 1548 1550 1551 1541 1549 1553 1410 1411	205, 206	-	4039-3220-X date 23 July 1969 Published date 21 November 1969	76.705 11.704 08.121 08.664 0.084 0.815 0.261 2.121 1.400 0.052 1.484 6.395	---"

R F Block (Proposed)	Patwar i Halka No.	Forest Beat	Village	PF Block	Khasra No	PF Compartment	If revenue land then head of the land	If protected forest then its notification number and date with	Area (Hectare)	Boundaries	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1412					0.888	
					1413					12.1222	
					1530					0.240	
					1531					0.564	
					1532					0.240	
					1542					3.449	
					1543					5.595	
					1544					12.561	
					1552					0.031	
Total :-						20				76.7912	
G. Total :-						44				183.636	

Total Area of Blocks :-
183.636 Hectares
(One Hundred Eighty Three Decimal Six Three Six)

Brief Description :- The above said area is undulating Valuable Product.
Reasons of Reservation :- For preserving the forests till perpetually in the best interests of the State and the people for introducing systematic management to constitute them as reserved forests.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. एफ-1-5-2016-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन सतना जिले की तहसील रामपुर बघेलान एवं तहसील अमरपाटन की सीमाओं को परिवर्तित करने हेतु नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्र.	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अमरपाटन	वर्तमान तहसील अमरपाटन के राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहारी कटरा के पटवारी हल्का नं. 01 से 24 अपवर्जित किया जाना प्रस्तावित है. इस प्रकार तहसील अमरपाटन में कुल 53 पटवारी हल्के, जिनमें 132 ग्राम होंगे, शेष रहेंगे.	पूर्व में —तहसील हुजूर जिला रीवा पश्चिम में —तहसील मैहर उत्तर में —तहसील रामपुर बघेलान दक्षिण में —तहसील रामनगर
2	रामपुर बघेलान	वर्तमान तहसील रामपुर बघेलान में वर्तमान तहसील अमरपाटन के राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहारी कटरा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 24 में समाहित किया जाना प्रस्तावित है. इस प्रकार तहसील रामपुर बघेलान में कुल 97 पटवारी हल्के, जिनमें 218 ग्राम हो जाएंगे.	पूर्व में —तहसील हुजूर जिला रीवा पश्चिम में —तहसील रघुराजनगर एवं उचहेरा उत्तर में —तहसील मझगवां एवं सिरमौर दक्षिण में —तहसील अमरपाटन

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि जनसाधारण की सुविधा एवं क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 6 जुलाई 2016

क्र. 1-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	अटेर	कमई	1172-0.32 1174-0.05 1176-0.29 1173-0.04 1175-0.09 1219-0.12 1221-0.02 1220-0.11	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.	सिमराव कमई मार्ग में क्वारी नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
योग . .			08-1.04		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. भू-अर्जन-1222-(अ-82)-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन के वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सारसडोली	452	0.61	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली लघु सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
		प. ह. नं. 22	453	0.41		
		रा.नि.म.	454/1	0.36		
		कोहानी देवरी.	454/2	0.36		
			455	0.37		
			456	0.36		
			457	0.64		
			458	0.66		
			464	2.59		
			465	0.10		
			393	0.40		
			394	0.25		
			396	1.25		
			395/1	0.15		
			395/2	0.15		
			459	0.67		
			461/3	0.06		
			461/1	0.06		
			532	0.23		
			450	0.36		
			442	0.19		
			443/1	1.46		
			461/2	0.08		
			443/2	1.47		
			443/3	0.73		
			444	0.54		
			445	1.24		
			534	0.33		
			446/1	0.09		
			448/1	0.53		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			446/2	0.09		
			448/2	0.53		
			446/3	0.09		
			448/3	0.52		
			449	1.63		
			517	0.20		
			518	0.40		
			520	0.59		
			523	0.21		
			525	0.57		
			528	1.24		
			526	0.23		
			527	1.20		
			490	0.58		
			योग . .	24.78		

शासकीय भूमि

451	0.64
462	0.03
441	0.40
447	0.08
519	0.07
521	0.20
522	3.05
524	0.20
516	3.80
531	0.35
533	0.11
योग . .	8.93
सकल योग	33.710

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. भू-अर्जन-1228-(अ-82)-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कौंडिया	202	0.67	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली लघु सिंचाई योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.
		प. ह. नं. 22	203/1	0.28		
		रा.नि.मं.	206/1	0.32		
		कोहानी देवरी.	206/5	0.63		
			213	0.29		
			203/2	0.29		
			206/4	0.65		
			204/1	0.42		
			207/1	0.73		
			198/1	0.25		
			204/2	0.43		
			207/3	0.73		
			212/3	0.21		
			198/2	0.26		
			204/3	0.43		
			207/4	0.72		
			212/1	0.23		
			198/3	0.25		
			204/4	0.43		
			207/2	0.73		
			212/2	0.21		
			198/4	0.26		
			206/2	0.23		
			205	0.45		
			208	0.85		
			200	1.10		
			206/3	1.95		
			210	0.69		
			211	0.72		
			194/1	0.24		
			191	0.27		
			192	0.64		
			87/1	0.16		
			199	0.20		
			योग :	16.92		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शासकीय भूमि						
			201	3.70		
			209	0.65		
			193	1.17		
			योग :	5.52		
			सकल योग :	22.44		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 19 जुलाई 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, विजयराघवगढ़ शाखा नहरों में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर व सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	नन्हवाराकला प. ह. नं. 10, न. ब. 74.	0.78	कार्यपालन यंत्री, दांयीतट नहर संभाग क्र.-1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 जुलाई 2016

प्र. क्र. 121-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	कृष्णगढ़	निजी भूमि रकबा 9.313 हेक्टे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.551 हेक्टे. कुल रकबा 9.864 हेक्टे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 23 जुलाई 2016

प्र. क्र. 5-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, स्यावनी-मेंदवारा-जेवर मार्ग में ग्राम उपरारा के पास सुखनई नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में आने

वाले भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
		नगर/ग्राम			एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	उपराराखास, उपराराचक्र-1	0.165 हे. 0.333 हे.	भू-अर्जन अधिकारी, जतारा	पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य स्यावनी-मैदवारा.	
		योग :	0.498 हे.			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 जुलाई 2016

प. क्र. 233-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम			प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
रीवा	सिरमौर	अकौरी	1.639	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र.-1, रीवा.	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि.मी. का भू-अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र.-1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 234-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मौहरिया	1.283	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र.-1, रीवा.	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र.-1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 जुलाई 2016

प्र. क्र. 7-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	ढड़ारी (पूरक)	2.000	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. 6404-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जटामा, प.ह.नं.-42, बं.न.-184, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा, तहसील-छिन्दवाड़ा.	रकबा 01.574 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6405-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-भाजीपानीकला, प.ह.नं.-68, बं.न.-427, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा, तहसील-छिन्दवाड़ा.	रकबा 02.942 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6406-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची की खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-उमरहर, प.ह.नं.-41, बं.नं.-23, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा, तहसील-छिन्दवाड़ा.	रकबा 0.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6407-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-खापाकला, प.ह.नं.-41, बं.नं.-94, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा, तहसील-छिन्दवाड़ा.	रकबा 03.453 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6408-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-बादगांव, प.ह.नं.-35/78, बं.नं.-119, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 02.480 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 6409-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-पिपरियाखाती, प.ह.नं.-47/40, बं.नं.-167, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 08.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर की 14 माइजर की 2 एल, सबमाइजर एवं 2 एल, सबमाइजर की 1 आर सब माइजर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6410-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-तीतरी, प.ह.नं.-35, बं.नं.-119, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 05.870 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6411-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूँकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-आमगांव, प.ह.नं.-40, बं.नं.-04, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 07.355 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर की 13 एल, 14 एल माइनर एवं 14 एल माइनर की 1 आर, सबमाइनर की 2 आर सबमाइनर एवं 15 एल माइनर की 1 आर सबमाइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6412-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची की खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-मोघर, प.ह.नं.-31, बं.नं.-236, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 03.980 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6413-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-कोंढरखापा, प.ह.नं.-32, बं.नं.-34, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 0.640 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6414-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-सीदप, प.ह.नं.-07, बं.नं.-283, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 20.630 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की माइनर 4 एल, 5 एल, 6 एल नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6415-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-मोरखा, प.ह.नं.-47, बं.नं.-237, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 0.350 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 3 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6416-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-टॉप, प.ह.नं.-48/40, बं.नं.-111, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 03.840 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उप वितरक नहर की 15 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6417-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-पोनिया, प.ह.नं.-40, बं.नं.-181, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 05.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांधी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उप वितरक नहर की 11 आर, 12 एवं 16 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांथी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6418-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-सिंगोडीटोला, प.ह.नं.-42, बं.नं.-279, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 04.935 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उप वितरक नहर की 8 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6419-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-खैरघाट, प.ह.नं.-40, बं.नं.-52, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 05.180 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उप वितरक नहर की 15 आर, 16 एल, 17 एवं टेल एण्ड माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6420-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-लोनीकला, प.ह.नं.-28, बं.नं.-261, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 08.390 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैर-घाट उप वितरक नहर की 5 आर माइनर एवं इसकी 1-2 सब-माइनर व 6 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6421-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-चंदनगांव, प.ह.नं.-35, बं.नं.-77, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 02.960 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6422-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-लालगांव, प.ह.नं.-35, बं.नं.-257, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 03.913 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6423-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-परसगांवसर्ग, प.ह.नं.-32, बं.नं.-268, रा.नि.मं.-चांद, तहसील-चांद.	रकबा 02.458 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6424-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची की खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हसनपुर, प.ह.नं.-31, ब.नं.-309, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 04.670 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की माइनर 2 एल, 3 एल नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6425-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हरदुआरैयत, प.ह.नं.-29, ब.नं.-282, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 08.240 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की माइनर 1 एल, माइनर 3 एल सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6426-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मुआरी, प.ह.नं.-38, बं.नं.-18, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 07.462 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 3 आर, 4 आर, माइनर एवं इसकी 1 एल सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6427-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चाँद	ग्राम-पचगाँव, प.ह.नं.-42, ब.नं.-154, रा.नि.मं.-चाँद, तहसील-चाँद	रकबा 06.770 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उप वितरक नहर की 7आर, 8आर, 9एल एवं 10एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6428-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूँकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-सांख, प.ह.नं.-42, ब.नं.-544, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा,, तहसील-छिन्दवाड़ा,	रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6429-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मरकाहांडी, प.ह.नं.-38, बं.नं.-18, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई	रकबा 03.212 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 4 आर माइनर एवं इसकी 1 एल सब-माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 मई 2016

प्रकरण क्र. 039-अ-82-वर्ष-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—महेबा, प. ह. नं. 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.220 हेक्टेयर

खसरा नंबर कुल अर्जित भूमि का प्रकार
रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)
5800	0.360	निजी भूमि
5796	0.321	निजी भूमि
5801	0.340	निजी भूमि
5802	0.494	निजी भूमि
5825	0.553	निजी भूमि
5798	0.121	निजी भूमि
5811	0.320	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
5835	0.060	निजी भूमि
5812/1 क	0.154	निजी भूमि
5812/1 ख	0.153	निजी भूमि
5812/2 क	0.052	निजी भूमि
5812/2 ग	0.051	निजी भूमि
5812/2 ख	0.051	निजी भूमि
5810/1 क	0.060	निजी भूमि
5814/1 क	0.314	निजी भूमि
5810/2 क	0.060	निजी भूमि
5814/2/क	0.314	निजी भूमि
5815	0.100	निजी भूमि
5819/2	0.340	निजी भूमि
5820	0.057	निजी भूमि
5821	0.186	निजी भूमि
5818	0.097	निजी भूमि
5823/1	0.515	निजी भूमि
5822	0.220	निजी भूमि
5832/1 ख	0.080	निजी भूमि
5824/1	0.507	निजी भूमि
5826	0.050	निजी भूमि
5832/1 क	0.080	निजी भूमि
5831	0.120	निजी भूमि
5834	0.030	निजी भूमि
5832/2	0.080	निजी भूमि
5549/1 क	0.080	निजी भूमि
5549/2 क	0.080	निजी भूमि
5563	0.030	निजी भूमि
5562	0.060	निजी भूमि
5554	0.100	निजी भूमि
5555/1	0.070	निजी भूमि
5555/2	0.070	निजी भूमि
5565/1	0.010	निजी भूमि
5565/2	0.010	निजी भूमि
5719	0.470	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 7.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत स्पल चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 19 जुलाई 2016			(1)	(2)	(3)
<p>प्रकरण क्र. 071-अ-82-वर्ष-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—पन्ना</p> <p>(ख) तहसील—गुनौर</p> <p>(ग) ग्राम—पड़ेरी, प. ह. नं. 09</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.996 हेक्टेयर</p>			180/1	0.060	निजी भूमि
			180/2	0.060	निजी भूमि
			186	0.080	निजी भूमि
			184	0.160	निजी भूमि
			144	0.156	निजी भूमि
			143	0.030	निजी भूमि
			109	0.072	निजी भूमि
			110	0.072	निजी भूमि
			111	0.030	निजी भूमि
			120	0.100	निजी भूमि
			4	0.380	निजी भूमि
			8	0.180	निजी भूमि
			112	0.520	निजी भूमि
			113	0.050	निजी भूमि
			114	0.350	निजी भूमि
			115	0.140	निजी भूमि
			116	0.070	निजी भूमि
			117	0.020	निजी भूमि
			118	0.040	निजी भूमि
119	0.200	निजी भूमि			
(1) भूमि का वर्णन—	3	0.260	निजी भूमि		
(क) जिला—पन्ना	2	0.180	निजी भूमि		
(ख) तहसील—गुनौर	7	0.120	निजी भूमि		
(ग) ग्राम—पड़ेरी, प. ह. नं. 09	9	0.130	निजी भूमि		
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.996 हेक्टेयर	19	0.120	निजी भूमि		
	18	0.160	निजी भूमि		
	22	0.210	निजी भूमि		
खसरा नंबर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार	21	0.480	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	27	0.030	निजी भूमि
			862/1	0.080	निजी भूमि
			863/1	0.020	निजी भूमि
175	0.250	निजी भूमि	860	0.060	निजी भूमि
176	0.010	निजी भूमि	861	0.085	निजी भूमि
240	0.032	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . . 5.996		
1/1	0.030	निजी भूमि	<p>(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.</p> <p>(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.</p>		
177	0.060	निजी भूमि			
1/2	0.770	निजी भूमि			
181	0.020	निजी भूमि			
182	0.089	निजी भूमि			
183	0.010	निजी भूमि			
185	0.020	निजी भूमि			

पन्ना, दिनांक 20 जुलाई 2016

प्रकरण क्र. 078-अ-82-वर्ष-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—सुपन्था, प. ह. नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.340 हेक्टेयर

खसरा नंबर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
244	0.600	निजी भूमि
245	0.100	निजी भूमि
246	0.100	निजी भूमि
247	0.230	निजी भूमि
249/1	0.280	निजी भूमि
250/1	1.030	निजी भूमि
251/1	0.880	निजी भूमि
243	0.230	निजी भूमि
186	0.600	निजी भूमि
201	0.280	निजी भूमि
169/1	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	4.340	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—श्यामरडाडा तालाब योजना के अंतर्गत बेस्ट वियर, स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्रकरण क्र. 077-अ-82-वर्ष-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—तुर्कीताल, प. ह. नं. 44
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.930 हेक्टेयर

खसरा नंबर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
24/1	0.190	निजी भूमि
22	0.100	निजी भूमि
91	0.800	निजी भूमि
93	0.040	निजी भूमि
85	0.160	निजी भूमि
92	0.100	निजी भूमि
94	0.020	निजी भूमि

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2016

ज्ञाप. क्र. 596-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 4 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—भैरोंघाट (प. ह. नं. 02)
(घ) रा. नि. मण्डल पिपरियाकला
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—0.190 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां:—

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
132/1	0.150
133	0.040
कुल योग	0.190

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पिपरिया भैरोंघाट मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.
(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. 2, जबलपुर में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(3)
95/1 क	0.130	निजी भूमि
95/1 ग	0.130	निजी भूमि
95/1 ख	0.210	निजी भूमि
95/2	0.330	निजी भूमि
96/2	0.460	निजी भूमि
96/1 क	0.160	निजी भूमि
96/1 ख	0.160	निजी भूमि
171	0.950	निजी भूमि
172	0.060	निजी भूमि
266	0.280	निजी भूमि
265	0.010	निजी भूमि
267/1	0.140	निजी भूमि
267/2	0.150	निजी भूमि
268	0.050	निजी भूमि
269	0.060	निजी भूमि
270	0.130	निजी भूमि
271	0.050	निजी भूमि
272	0.080	निजी भूमि
273	0.090	निजी भूमि
274	0.020	निजी भूमि
275	0.030	निजी भूमि
278	0.030	निजी भूमि
279	0.030	निजी भूमि
280	0.120	निजी भूमि
4/2	0.120	निजी भूमि
282	0.140	निजी भूमि
283	0.060	निजी भूमि
284	0.080	निजी भूमि
286	0.020	निजी भूमि
287/1 क	0.080	निजी भूमि
287/1 ख	0.080	निजी भूमि
287/2	0.080	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	5.930	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बेस्ट वियर, स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 26th July 2016

No. 772-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop for Advocates from 13-08-2016 to 16-08-2016 (from 10:30 am to 5:00 pm) at Madhya Pradesh State Judicial Academy in which Advocates, whose names are shown as per list "A" annexed with this order, will participate, as per the following terms and conditions:—**

1. The nominated Advocates shall have to report at 10.00 a.m. sharp on 13 August 2016 at Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed (i. e. white shirt and grey-black

stripped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women).

3. Nominated Advocates are expected to bring law books (bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination).
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation.
5. The participants shall be provided with tea and snacks twice and lunch during the workshop.
6. On successful completion of the programme, MPSJA shall provide "Certificate of participation" to the participants.

Annexure—"A"

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर (दिनांक 13-08-2016 से 16-08-2016)

जिले का नाम (1)	तहसील का नाम (2)	अधिवक्ता का नाम (3)	नामांकन क्रमांक (4)	मोबाईल नंबर (5)
सीधी				
1		श्री राजेन्द्र द्विवेदी	2026/96	
2		श्री रेवती रमन मिश्रा	2511/04	
3		श्री अरूण कुमार पाण्डेय	318/98	
4		श्री महीप शक्ला	2753/96	
5		श्री मनोज सिंह चौहान	2613/02	
6		श्री अवनीन्द्र कुमार पाठक	3133/03	
7		श्री देवेन्द्र द्विवेदी	2629/01	
8		श्री नागेश मिश्रा	1126/95	
9		श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	2158/01	
10		श्री अनिल कुमार तिवारी	180/03	
सीहोर				
11		श्री राजेश वर्मा	1638/1994	9826993763
12		श्री राजकुमार मालवीय	2245/2000	9826382381
13		श्री डी. एस. मीना	71/1997	9977342176
14		श्री अनिल दुबे	863/1993	9425008040
15		श्री राजेश पंड्या	—	9826322610
16		श्री आजाद पाराशर	2903/1994	9826083259
17		श्री रवि पारे	896/1997	9826626005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18		श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर	3278/2000	9300731936
19		श्री डी. के. काशिव	63/1999	9039356637
20		श्री एच. पी. चकधा	1239/1981	9827543571
अनूपपुर				
21	अनूपपुर	श्री रजनीकान्त मिश्रा		
22	अनूपपुर	श्री हनुमानशरण तिवारी		
23	अनूपपुर	श्री अमित सिंह परिहार		
24	अनूपपुर	कुमारी सावित्री सिंह सेंगर		
25	अनूपपुर	श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी		
26	अनूपपुर	श्री मुकेश कुमार तिवारी		
27	कोतमा	श्री शंकर दयाल शर्मा		
28	कोतमा	श्री शिवचरण केवट		
29	राजेन्द्रग्राम	श्री अनुराग श्रीवास्तव		
30	राजेन्द्रग्राम	श्री धीरेन्द्र पाण्डेय		
बड़वानी				
31	बड़वानी	श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी	एम.पी.—2224/02	
32	बड़वानी	श्री नीलेश कुमार जैन	एम.पी.—2226/02	
33	बड़वानी	कुमारी अंजना जैन	एम.पी.—2798/04	
34	बड़वानी	श्री विनोद पाटीदार	एम.पी.—584/04	
35	बड़वानी	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	एम.पी.—354/99	
36	अंजड़	श्री ललित कुमार जैन	एम.पी.—2224/02	
37	राजपुर	हीना परवीन शेख	एम.पी.—3017/01	
38	राजपुर	श्री महेश कुमार जैन	एम.पी.—268/98	
39	राजपुर	श्री राजेश कुमार गुप्ता	एम.पी.—189/98	
40	राजपुर	श्री राजेश कुमार सत्संगी	एम.पी.—1490/92	
हरदा				
41		श्री रवीन्द्रसिंह		
42		श्रीमती मेहरूनिशा खान		
43		श्री महेन्द्र कुमार पटेल		
44		श्री आजाद कुमार मिश्रा		
45		श्री प्रवीण सोनी		
46		श्री आर. बी. कुशवाहा		
47		श्री संजय कुमार गौर		
48		श्री वंदित सिंह राजपूत		
49		श्री दिनेश गोरखे		
50		श्री संजय कुमार पाराशर		
बैतूल				
51	बैतूल	श्री आकाश श्रीवास्तव		
52	बैतूल	श्री शशिकांत नागले		
53	बैतूल	श्री अनुराग गौतम		
54	बैतूल	श्री संजय बचले		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	मुतलाई	श्री विशाल कोडले		
56	मुलताई	श्री अशोक देशमुख		
57	मुलताई	श्री प्रवीण पंवार		
58	भैंसदेही	श्री मो. आसिफ काबरा		
59	भैंसदेही	श्री महेन्द्र गिरी		
60	आमला	श्री ब्रजेश सोनी		
छतरपुर				
61	बड़ामलहरा	श्री भरतलाल उपाध्याय		
62	छतरपुर	श्री निखिल श्रीवास्तव		
63	छतरपुर	श्री नीरज चंसौरिया		
64	छतरपुर	श्री संदीप विलथरे		
65	छतरपुर	श्री आशीष कुमार गुप्ता		
66	छतरपुर	श्री छोटेलाल द्विवेदी		
67	छतरपुर	श्रीमती सुषमा द्विवेदी		
68	छतरपुर	श्री संजय श्रीवास्तव		
69	छतरपुर	श्री मुकेश कुमार तिवारी		
70	छतरपुर	नीलम बाजयेपी		
धार				
71		श्री विजय जामोदिया	3208/2005	9826643912
72		श्रीमती अलका सागर	1203/2005	
73		श्री रणवीरसिंह मानावत	2005/2001	
74		श्री निलेश शर्मा	2090/2002	9406671004
75		सुश्री एकता शर्मा	2075/2002	
76		श्री अजय शर्मा	1953/2001	
77		श्री दशरथ वर्मा	1080/2005	
78		श्री संजय अग्रवाल	188/1994	
79		श्री मोहन लाल जाट	1404/1997	
80		श्री केशवदास वैष्णव	82/2000	7898380545, 9907243001
इन्दौर				
81		श्री ब्रिजेन्द्र गुप्ता	2674/05	9425361833
82		श्री पंकज कुमार राठौर	3873/1999	9826375378, 9424755711
83		श्री कमल कुमार पटेल	1451/1998	9827730386
84		श्री रामप्रकाश वर्मा	4382/2000	
85		श्री मनीष पाल	2954/1998	9425074226
86		श्रीमती ज्योति महेश्वरी	2859/03	9893179711
87		श्री रत्नेश एस. गुप्ता	1858/96	9425090729
88		श्री एम. एल. प्रजापत	753/1998	9229473312
89		श्री जी. एन. पालीवाल	3396/99	9424490459
90		श्री अजय जैन	2076/02	9424895396

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ				
91	थांदला	श्री तुषार भट	2472/97	
92	थांदला	श्री विरेन्द्र बाबेल	2391/97	
93	थांदला	श्री निरज	3696/2004	
94	थांदला	श्री दिनेश वैरागी	3672/2004	
95	थांदला	श्री चुन्नी लाल	2021/2007	
96	थांदला	श्री प्रकाश हरिया गणावा	373/2005	
97	थांदला	श्री निलेश जैन	711/2007	
98	थांदला	श्री सुरेश वैरागी	317/2006	
पूर्व निमाड़ खण्डवा				
99		श्री विकास जैन		
100		श्रीमती सुषमा शर्मा		
101		श्रीमती छाया शर्मा		
102		श्री मो. साबिर		
103		श्री शेख साजिद		
104		श्री जयविंदरसिंह सवन्नी		
105		श्री रविन्द्र पवार		
106		श्री रविन्द्र झंवर		
107		श्री बसंत पिपलादिया		
108		श्रीमती सुधा खान		
पन्ना				
109	पन्ना	श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव		
110	पन्ना	श्री विनय सिंह पूनिया		
111	पन्ना	श्री किशोर श्रीवास्तव		
112	पन्ना	श्री अमित कुमार सेन		
113	पन्ना	श्री देवेन्द्र खरे		
114	पन्ना	श्री चन्द्रभान पटेल		
115	पन्ना	श्री राजीव दीक्षित		
116	पवई	श्री राजेश कुमार नगायच		
117	पवई	श्री सी. एल. सिंगरौल		
118	पवई	श्री शिवशंकर सिंह चौहान		
राजगढ़				
119	राजगढ़	श्री समीर सक्सेना	3290/05	
120	राजगढ़	श्री एहतेशाम सिद्दीकी	2473/08	
121	ब्यावरा	श्री सचिन श्रीवास्तव	2673/01	
122	ब्यावरा	श्रीमती चित्रा शर्मा	2025/05	
123	नरसिंहगढ़	श्री शाहिद अब्बास सैफी	558/2003	
124	नरसिंहगढ़	श्री सचिन सक्सेना	3347	
125	सारंगपुर	श्री दिनेश कुमार मालवीय	121/08	
126	सारंगपुर	श्री ललित महेश्वरी	347/08	
127	जीरापुर	श्री राकेश टेलर	3480/2003	
128	खिलचीपुर	श्री संदीप शर्मा	2915/07	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा				
129		श्री श्याम जी श्रीवास्तव	849/99	
130		श्री अभिषेक सिंह	2140/02	
131		श्री अनिल कुमार द्विवेदी	638/2000	
132		श्री इजहार अहमद खान	897/97	
133		श्री कैलाश नापित	1945/01	
134		श्री जवाहर लाल दुबे	2878/01	
135		श्री राजीव सिंह परिहार	2855/05	
136		श्री सुनील कुमार सिगरौल	959/01	
137		श्री कौशलेश प्रसाद पटेल	2134/02	
138		श्री अच्छे लाल निराला	2619/05	
सतना				
139		श्री रमाकांत पाण्डेय		
140		श्री अम्ब्रीश शर्मा		
141		श्री द्वारिका सिंह		
142		श्री सुमन मिश्रा		
143		श्री हर्ष अरोरा		
144		श्री मनोज नेमा		
145		श्री अनूप शुक्ला		
146		श्रीमती अर्पणा मिश्रा		
147		श्री मनोज त्रिपाठी		
148		श्री रामनरेश पटेल		
सागर				
149		श्री गौरव रावत		
150		श्री राजेश कुमार वैद्य		
151		श्री के. के. प्रजापति		
152		श्री शिवदयाल बड़ोनिया		
153		श्री सुनीत वर्मा		
154		श्री जितेन्द्र राठौर		
155		श्री नीरज मिश्रा		
156		श्री कपिल व्यास		
157		श्री रामदास राज		
158		श्री आशूतोष यादव		
शहडोल				
159	शहडोल	श्री रामशंकर तिवारी	2302/2003	
160	शहडोल	श्री अजीत कुमार तिवारी	452/2003	
161	शहडोल	श्री राजेश कुमार मिश्रा	1134/1997	
162	शहडोल	श्री अबरार अहमद	4054/2000	
163	शहडोल	श्री सुरेश जेठानी	1075/1989	
164	शहडोल	श्री संतोष कुमार रोहिणी	668/2002	
165	शहडोल	श्री गौतमराज	2165/2003	
166	जयसिंहनगर	श्री दीपनारायण तिवारी	325/2004	
167	ब्यौहारी	श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल	2883/1994	
168	ब्यौहारी	श्री कुन्ज बिहारी द्विवेदी	1150/1997	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिंगरौली				
169	देवसर	श्री नरेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	2565/2003	9893702269
170	देवसर	श्री संतोष कुमार तिवारी	1261/97	9893990775
171	देवसर	श्री सुखेन्द्र कुमार शुक्ल		
172	देवसर	श्री मनोज कुमार द्विवेदी	2207/01	9981041099
173	देवसर	श्री दिलीप कुमार पाण्डेय		
174	देवसर	श्री अजीत कुमार चतुर्वेदी		
175	देवसर	श्री बृजेश कुमार चतुर्वेदी	1496/07	9893858918
176	देवसर	श्री अंगद प्रसाद शाह	1786/95	
177	देवसर	श्री रमाशंकर पाण्डेय	3959/2000	
178	देवसर	श्री नसीम आलम	3224/2004	
179	बैढ़न	श्री थानेदार खैरवार	2579/2001	
180	बैढ़न	श्रीमती वीणारानी	3681/2005	
181	बैढ़न	श्री अनिल सिंह परिहार	2587/2003	
182	बैढ़न	श्री आशीष कुमार शर्मा	2312/2006	
टीकमगढ़				
183	जतारा	श्री कमर अहमद	3160/04	
184	जतारा	श्री विनोद शर्मा	2765/94	
185	जतारा	उमाकान्त त्रिपाठी	1396/2011	
विदिशा				
186	विदिशा	श्री सुरजीत सिंह सिकरवार		
187	विदिशा	कुमारी सीमा सोलंकी (राजपूत)		
188	विदिशा	श्री मनीष शर्मा (उदासी)		
189	विदिशा	श्री नीलेश पुष्पकार		
190	विदिशा	श्री अमित श्रीवास्तव		
191	विदिशा	श्री जसवन्त सिंह दांगी		
192	गंजबासौदा	श्री संजीव प्रताप सिंह चौहान		
193	गंजबासौदा	श्री अखिलेश लाहोटी		
194	गंजबासौदा	श्री राजेन्द्र पाली		
195	गंजबासौदा	श्री महेश चौरसिया		
196	गंजबासौदा	श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी		
197	गंजबासौदा	श्री शिवदीप सचान		
बुरहानपुर				
198		श्री देवानंद जे. तायडे		
199		श्री शैलेन्द्र शिवहरे		
200		श्री संजय विजयवर्गीय		
201		श्री शांताराम वानखेडे		
202		श्री दिनेश शखंपाल		
203		श्री दिपक बी. उमाले		
204		श्री सतीश चौधरी		
205		श्री हफीजउद्दीन जागीरदार		
206		श्री एम. फारूक		
207		श्री बालु तायडे		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अशोकनगर				
208	अशोकनगर	श्री राजीव बोहरे		
209	अशोकनगर	श्रीमती आशा पटवा		
210	अशोकनगर	श्री रफीक खान		
211	अशोकनगर	श्री आशुतोष लोधी		
212	अशोकनगर	श्री संदीप कुमार तिवारी		
213	अशोकनगर	श्री महेन्द्र सिंह यादव		
214	अशोकनगर	श्री अजय रघुवंशी		
215	अशोकनगर	श्री रविन्द्र सोनी		
216	मुंगावली	श्री आशीष कुमार जैन		
217	मुंगावली	श्री राधामोहन तिवारी		
मण्डलेश्वर				
218	मण्डलेश्वर	श्री रूपेश शर्मा		
219	मण्डलेश्वर	श्री जे. ए. खैशगी		
220	कसरावद	श्री बृजेश व्यास		
221	खरगोन	श्री प्रदीप तिवारी		
222	खरगोन	श्री बृजेश यादव		
223	मण्डलेश्वर	सुश्री दीपा मकवाने		
224	कसरावद	श्री नवीन जोशी		
225	कसरावद	श्री अश्विन जोशी		
226	खरगोन	दिपील कर्मा		
227	खरगोन	श्री सुमित मिश्रा		
बालाघाट				
228	Jabalpur, the 27 th July 2016	श्री नन्दीराम नर्सवानी	possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.	
<p>No. 774-Confdl.-2016-II-2-1/2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Workshop on Family Laws for the Principal Judges of Family Courts and Additional District Judges dealing with matrimonial cases on 06-08-2016 & 07-08-2016 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.</p>			<p>Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.</p>	
<p>Conditions for the Workshop :—</p>			<p>It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.</p>	
<p>1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.</p>			<p>Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.</p>	
<p>2. The participants shall report by 9.30 a. m. on 6th August 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Jabalpur.</p>			<p>6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest</p>	
<p>3. The participants shall come soberly dressed during the entire duration of the Workshop.</p>				
<p>4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.</p>				
<p>5. The Academy shall endeavour to make best</p>				

House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.

7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop, free of charge, as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop on official email of the State Judicial Academy i. e. mpjotri@gmail. com atleast three days prior to the schedule of Workshop.

Jabalpur, the 30th July 2016

No. 778-Confdl.-2016-II-2-1/2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop on Land Acquisition Act, 1894 including Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 for the Judges dealing cases under the Act on 27-08-2016 & 28-08-2016 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the afore-said Workshop.**

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by **9.30 a. m. on 27th August 2016** in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.

4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop, free of charge, as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop on official email of the State Judicial Academy i. e. mpjotri@gmail. com atleast three days prior to the schedule of Workshop.

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 790-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ इंदौर, इंदौर.	इंदौर	इंदौर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की हैसियत से डॉ. मोहम्मद शमीम के स्थान पर.

Jabalpur, the 2nd August 2016

No.806-Confdl.-2016-II-2-1/2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Advance/Orientation Course for newly promoted Additional District Judges from 29-08-2016 to 03-09-2016 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.**

Conditions for the Course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by **9.30 a. m. on 29-08-2016** in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Course.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked

at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to their participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the **course**, free of charge, as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the **course** on official email of the State Judicial Academy i. e. mpjotri@gmail. com atleast three days prior to the schedule of **course**.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्र. B-3622-दो-2-11-2012.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 8 से 16 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2987-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 27 जून 2016 से 2 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2989-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 7 से 8 जुलाई 2016

जबलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. B-3651-III-6-2/16.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3), सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित राजस्व जिले में, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है:—

सारणी

क्रमांक	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2	बैहर	बालाघाट

तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 6 जुलाई 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2991-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 18 से 23 जुलाई 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जुलाई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2016

क्र. 794-गोपनीय-2016-II-2-9/97.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 2665/इक्कीस-ब (दो)/2016, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के अंतर्गत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर वेतनमान 51550—1230—58930—1380—63070/- पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1) को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में दर्शित पद पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	दतिया	मुरैना	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
2.	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	डिण्डौरी	रीवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
3.	श्री शिव बालक साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	मण्डला	जबलपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
4.	श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	सतना	देवास	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
5.	श्री विक्रम सिंह बुले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	अलीराजपुर	खण्डवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
6.	श्री अरविंद कुमार (जैन), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	सागर	सागर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
7.	श्री संजय कुमार जैन, (जूनियर-1) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	ग्वालियर	ग्वालियर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
8.	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	इंदौर	उज्जैन	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
9.	श्री अमित रंजन समाधिया, चौबिसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	इंदौर	इंदौर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	श्री विपिन कुमार लावनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.	गुना	भोपाल	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.

जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्र. 799-गोपनीय-2016-दो-3-250-57-(भाग-34).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)02/2014/21-ब(एक) 2251 (अनुपूरक सूची मैरिट क्रमांक 01), दिनांक 20-06-2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री नूरून निशा अंसारी	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 28th July 2016

No. B-3656-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (3) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Headquarters shown in Column No. (2) of the said Table, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places:—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and designation
(1)	(2)	(3)
1.	Chhindwara	Shri Deepesh Kumar Tiwari, II ASJ
2.	Tikamgarh	Shri Vinod Kumar, II ASJ
3.	Alirajpur	Shri Rajendra Kumar (Verma), SJ
4.	Ashoknagar	Shri Gangacharan Sharma, II ASJ
5.	Badwarni	Shri Ajay Kumar Singh, I ASJ
6.	Burhanpur	Shri Galib Rasool, II ASJ
7.	Neemuch	Smt. Priya Sharma, II ASJ
8.	Panna	Shri Prakash Chandra Gupta (Sr.), Special Judge SC/ST (POA) ACT.
9.	Mandleshwar	Shri Vivek Singh Raghuvanshi, I ASJ

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D. E.).